न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (द०प्र०क्षे०)/ गैंगेस्टर न्यायालय, हमीरपुर।

UPHM010010332012

पीठासीन अधिकारी– अनिल कुमार खरवार, उच्चतर न्यायिक सेवा

जी0 एस 0 टी0 सं0–10/2012

सरकार **बनाम**

1– लल्ला सिंह उर्फ अरविन्द पुत्र बलवान सिंह
निवासी ग्राम पत्यौरा थाना सुमेरपुर, जिला हमीरपुर।

2– अमर सिंह पुत्र राजबहादुर सिंह
निवासी ग्राम पचखुरा थाना सुमेरपुर, जिला हमीरपुर।

3– हुकुम सिंह पुत्र रामजीवन सिंह
निवासी ग्राम रूरीपारा थाना ललपुरा, जिला हमीरपुर।

मु0 अ 0 सं0–1440/2011
धारा–2/3 उ 0 प्र 0 गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी/
क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम, 1986
थाना–सुमेरपुर, जिला हमीरपुर, (उ 0 प्र 0)।

एवं

UPHM010007882016

जी0 एस 0 टी0 सं0–10 ए/2012

सरकार **बनाम** वीर सिंह पुत्र जयबहादुर सिंह
निवासी ग्राम पत्यौरा थाना सुमेरपुर, जिला हमीरपुर।

मु0 अ 0 सं0–1440/2011
धारा–2/3 उ 0 प्र 0 गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी/
क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम, 1986
थाना–सुमेरपुर, जिला हमीरपुर, (उ 0 प्र 0)।

निर्णय

1– थाना सुमेरपुर जिला हमीरपुर की पुलिस द्वारा अभियुक्तगण लल्ला सिंह उर्फ अरविन्द, अमर सिंह एवं हुकुम सिंह एवं फरार अभियुक्त वीर सिंह के विरूद्ध प्रेषित आरोप पत्र के आधार पर अभियुक्तगण उपरोक्त का विचारण अन्तर्गत धारा 2/3 उ 0 प्र 0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम 1986 के अपराध हेतु किया गया।

दिनांक 05.03.2016 को अभियुक्त वीर सिंह के फरार रहने के कारण उसकी पत्रावली इस आरोप पत्र से पृथक की गई।

2– संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि एस०ओ० संजय कुमार सिंह मय हमराहियान, मय जीप सरकारी, मय चालक के बिनावर देखरेख अन्दर इलाका व तलाश वांछित अपराधी थाना हाजा से रवाना रफ्ता रपट नं० 21 समय 10.56 बजे रो०आम० तारीखी इमरोजा बाद गश्त ग्राम पत्योरा थाना सुमेरपुर से वापस आया ग्राम पत्योरा व पचखुरा के व्यक्तियों ने बताया कि लाला सिंह उर्फ अरविन्द सिंह पुत्र बलवान सिंह निवासी पत्योरा थाना सुमेरपुर 2. वीर सिंह पुत्र जयबहादुर सिंह निवासी पत्योरा थाना सुमेरपुर, 3. अमर सिंह पुत्र राजबहादुर सिंह निवासी पचखुरा महान 4. हुकुम सिंह पुत्र रामजीवन सिंह निवासी रूरीपारा थाना ललपुरा हमीरपुर का एक संगठित गिरोह है, जिसका गैंग लीडर लल्ला सिंह है। गैंग लीडर ने अपने एवं गैंग के सदस्यों के आर्थिक एवं भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए हत्या, अपहरण आदि जैसी आपराधिक घटनायें करते हैं। इस गैंग का जनता में भय एवं आतंक व्याप्त है। यह अपने गैंग के सदस्यों के साथ अपराध करके परिश्रमिक की तरह भुगतान करते हैं। इस गैंग के साथ लल्ला सिंह उर्फ अरविन्द सिंह पुत्र बलवान सिंह निवासी पत्योरा 2. वीर सिंह पुत्र जयबहादुर सिंह निवासी पत्योरा, 3. अमर सिंह पुत्र राजबहादुर सिंह निवासी पचखुरा निवासीगण थाना सुमेरपुर व हुकुम सिंह पुत्र रामजीवन निवासी रूरीपारा थाना ललपुरा स्थानीय एवं ललपुरा के अभिलेखों का अवलोकन किया गया तो गिरोह एवं सदस्यों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत हैं। मु०अ०सं०–302/1992 धारा 25 आयुध अधि०, मु०अ०सं०–164/1993 धारा 147,148,149,307,302 भा०दं०सं०, मु०अ०सं०–454/1993 धारा 18/20 एन०डी०पी०एस० एक्ट, मु०अ०सं०–110/1998 धारा 307 भा०दं०सं०, मु0अ0सं0–151/2001 धारा 364 भा०दं०सं०, मु०अ०सं०–195/2001 धारा 3 यू०पी० गुण्डा अधिनियम, मु०अ०सं०–136/2004 धारा 25 आयुध अधिनियम, मु०अ०सं०–301/2004 धारा 307 भा०दं०सं०, मु०अ०सं०–302/2004 धारा 25 आयुध अधिनियम, मु०अ०सं०–1264/2007 धारा 18/20 एन०डी०पी०एस० एक्ट, मु०अ०सं०–1486/2008 धारा 18/20 एन०डी०पी०एस० एक्ट, मु0अ0सं0–632/2006 धारा–60 वि०प० अधिनियम, मु०अ०सं०–881/2006 धारा 18/20 एन०डी०पी०एस० एक्ट, मु०अ०सं०–1304/2009 धारा 3 यू०पी० गुण्डा अधिनियम, मु0अ0सं0–1445/2010 धारा 8/22 एन०डी०पी०एस० एक्ट, मु0अ0सं0–1446/2010 धारा 25 आयुध अधिनियम, मु0अ0सं0–1351/2011 धारा–8/22 एन०डी०पी०एस० एक्ट, मु०अ०सं०–1352/2011 धारा 25 आयुध अधिनियम, मु0अ0सं0–1400/2011 धारा 307,333,353/34, भा०दं०सं० व 3(2)5 एस०सी०/एस०टी० अधिनियम, मु0अ0सं0–82/1 धारा–25 आयुध अधिनियम, मु०अ०सं० 1405/2011 धारा–धारा–25 आयुध अधिनियम, मु0अ0सं0–1404/2011 धारा 30 आयुध अधि थाना सुमेरपुर के अपराध पंजीकृत हैं। इस गिरोह द्वारा भा०दं०सं० के अध्याय 16,17,22 के अधीन अपराध घटित करके, आम जनता में भय एवं आतंक व्याप्त कर रखा है। यह गिरोह समाज विरोधी क्रिया कलापों में लिप्त रहता है। इस गैंग के लीडर व सदस्यों के विरुद्ध आम जनता का कोई व्यक्ति रिपोर्ट लिखाने एवं गवाही देने की हिम्मत नहीं करते हैं। इस गैंग के विरुद्ध गैंगचार्ट अनुमोदन हो चुका है। अतः समाज एवं आम जनता में शांति व्यवस्था एवं लोक व्यवस्था कायम रखने व आतंक का वातावरण दूर करने के उद्देश्य से इस गिरोह पर अंकुश लगाना आवश्यक प्रतीत होता है।

3– उपरोक्त तहरीर के आधार पर थाना सुमेरपुर जिला हमीरपुर में दिनांक 10.11.2011 को समय करीब 22.00 बजे मु0अ0सं0–1440/2011 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 में अभियुक्तगण लल्ला सिंह उर्फ अरविन्द, वीर सिंह, अमर सिंह एवं हुकुम सिंह के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई। जिसका उल्लेख उसी समय जी0डी0 में किया गया। तत्पश्चात विवेचना विवेचक को सुपुर्द की गई। विवेचक ने विवेचना प्रारम्भ की, तथ्य तथा औपचारिक साक्षियों के बयान, केस डायरी में अंकित

किये। तत्पश्चात दौरान विवेचना अभियुक्तगण का संगठित गिरोह पाया जाना तथा आम जन एवं समाज में अपराध कारित करके अपने व अपने सदस्यों के लिए आर्थिक एवं भौतिक लाभ प्राप्त करना पाया गया, जिसके आधार पर गैंगचार्ट तैयार कर जिला मजिस्ट्रेट, हमीरपुर से अनुमोदन कराया गया और विवेचना पूर्ण करने के पश्चात अभियुक्तगण लल्ला सिंह उर्फ अरविन्द, अमर सिंह एवं हुकुम सिंह व अभियुक्त वीर सिंह (फरार) के विरूद्ध मु0अ0स0–1440/2011 धारा–2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम 1986 में आरोप पत्र विशेष न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

4– आरोप पत्र न्यायालय में प्राप्त होने पर अभियुक्तगण लल्ला सिंह उर्फ अरविन्द, अमर सिंह, हुकुम सिंह एवं वीर सिंह को तलब किया गया। अभियुक्तगण लल्ला सिंह उर्फ अरविन्द, अमर सिंह, हुकुम सिंह के न्यायालय में उपस्थित आने पर उनके विरूद्ध दिनांक 05.03.2016 को आरोप अन्तर्गत धारा 2/3 उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम 1986 विरचित किये गए। अभियुक्तगण द्वारा आरोप से इन्कार किया गया और विचारण की मांग की गई।

अभियुक्त वीर सिंह को जेल से तलब कर उसके विरुद्ध दिनांक 08.04.2016 को आरोप अन्तर्गत धारा 2/3 उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम 1986 विरचित किये गए। अभियुक्त द्वारा आरोप से इन्कार किया गया और विचारण की मांग की गई। आदेश दिनांकित 19.11.2016 के द्वारा जी०एस०टी० सं० 10/2012 व जी०एस०टी० सं० 10ए/2012 समेकित की गई तथा लीडिंग केस जी०एस०टी० सं० 10/2012 को रखा गया। दोनों पत्रावलियां एक ही घटना तथा एक ही अपराध से संबंधित है, इसलिये दोनों पत्रावलियों का विचारण एक साथ किया गया। तत्पश्चात अभियोजन साक्ष्य आहूत किया गया।

5– अभियोजन पक्ष की ओर से मामले को साबित करने हेतु मौखिक साक्ष्य के अन्तर्गत निम्न साक्षीगण को परीक्षित कराया गया है।

1.	निरीक्षक संजय सिंह	पी0 डब्लू0–01
2.	रि० एस०आई० करन सिंह	पी0 डब्लू0–02
3.	निरीक्षक शिवप्रसाद	पी0 डब्लू0–03
4.	रामकुमार सिंह	पी0 डब्लू0–04
5.	निरीक्षक मोहम्मद शरीफ	पी0 डब्लू0–05
6.	पुलिस उपायुक्त दिनेश त्रिपाठी	पी0 डब्लू0–06
7.	निरीक्षक राकेश कुमार सरोज	पी0 डब्लू0–07
8.	निरीक्षक गिरेन्द्र कुमार सिंह	पी0 डब्लू0–08

6– अभियोजन द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में निम्नलिखित दस्तावेजों को साबित कराया गया है।

क्रम सं0	कागजात	साबित किया
1.	गैंगचार्ट	प्रदर्श क–1
2.	चिक एफ०आई०आर०	प्रदर्श क–2
3.	चिक एफ०आई०आर० कागज सं० 16 क	प्रदर्श क–3
4.	चिक एफ०आई०आर० की छायाप्रति	प्रदर्श क–4

5.	आरोप पत्र की छाया प्रति	प्रदर्श क–5
6.	आरोप पत्र कागज सं० 15 क/1	प्रदर्श क–6
7.	आरोप पत्र कागज सं० 15 क/2	प्रदर्श क–7
8.	अभियोजन स्वीकृति	प्रदर्श क–8
9.	मूल आरोप पत्र	प्रदर्श क–9

अभियोजन कार्यवाहियों का सारांश

7– अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी **पी0 डब्लू0–1 निरीक्षक संजय कुमार सिंह (वादी मुकदमा)** ने न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी सशपथ मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 10.11.2011 को मैं थानाध्यक्ष सुमेरपुर के पद पर तैनात था। उसी दिन मैं एस०एच०ओ० हमराही कां० दिनेश व कां० आनन्द मोहन मय जीप सरकारी व चालक सतेन्द्र प्रसाद द्विवेदी के साथ थाना सुमेरपुर की जी०डी० नं० 21 समय 1020 ए०एम० पर रावाना होकर ग्राम पत्योरा आदि गांव में गश्त में मामूर था कि जब मैं ग्राम पत्योरा से पचखुरा आया। ग्राम पचखुरा के लोगों ने बताया कि लल्ला सिंह उर्फ अरविन्द सिंह पुत्र बलवान सिंह, वीर सिंह पुत्र जयबहादुर सिंह निवासीगण पत्योरा थाना सुमेरपुर जनपद हमीरपुर व अमर सिंह पुत्र राजबहादुर सिंह निवासी पचखुरा थाना सुमेरपुर जनपद हमीरपुर व हुकुम सिंह पुत्र रामजीवन सिंह निवासी रूरीपारा थाना ललपुरा जनपद हमीरपुर का एक संगठित गिरोह है, इस गैंग का लीडर लल्ला सिंह उर्फ अरविन्द सिंह है। गैंगलीडर अपने सदस्यों के साथ आर्थिक एवं भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए हत्या, अपहरण आदि जैसी आपराधिक घठनाएं सामूहिक रूप से व अलग–अलग करते हैं। इस गैंग का जनता में भय व आतंक व्याप्त है। इस गैंग लीडर व सदस्यों के खिलाफ कई मुकदमे पंजीकृत हैं। मु०अ०सं०–302/1992 धारा 25 आयुध अधि०, मु०अ०सं०–164/1993 धारा 147,148,149,307,302 भा०दं०सं०, मु०अ०सं०–454/1993 धारा 18/20 एन०डी० पी०एस० एक्ट, मु०अ०सं०–110/1998 धारा 307 भा०दं०सं०, मु0अ0सं0–151/2001 धारा 364 भा०दं०सं०, मु०अ०सं०–195/2001 धारा 3 यू०पी० गुण्डा एक्ट, मु०अ०सं०–301/2004 धारा–307 भा०दं०सं०, मु०अ०सं०–302/2004 धारा 25 आयुध अधिनियम, मु०अ०सं०–1264/2007 धारा 18/22 एन०डी०पी०एस० एक्ट, मु०अ०सं०–1486/2008 धारा 18/22 एन०डी०पी०एस० एक्ट, जिसमें अभियुक्त वीर सिंह को सजा हो गई है। मु0अ0सं0–632/2006 धारा–60 वि०प० अधिनियम, मु०अ०सं०–881/2006 धारा 18/20 एन०डी०पी०एस० एक्ट, जिसमें अभियुक्त वीर सिंह को सजा हो गई है। मु०अ०सं०–1304/2009 धारा 3 यू०पी० गुण्डा अधिनियम, जिसमें अभियुक्त वीर सिंह को जिला बदर किया गया। मु0अ0सं0–1445/2010 धारा 8/22 एन०डी०पी०एस० एक्ट, मु0अ0सं0–1446/2010 धारा 25 आयुध अधिनियम, मु0अ0सं0–1351/2011 धारा–8/22 एन०डी०पी०एस० एक्ट, मु०अ०सं०–1352/2011 धारा 25 आयुध अधिनियम, मु0अ0सं0 1400/2011 धारा–307,333,353/34, भा०दं०सं० व 3,2(5) एस०सी०/ एस०टी० एक्ट, मु0अ0सं0–82/1998 धारा–25 आयुध अधिनियम, मु०अ०सं० 33/2001 धारा–302/34 भा०दं०सं० जिसमें अभियुक्त लल्ला उर्फ अरविन्द सिंह को सजा हो चुकी है। मु०अ०सं० 1759/2008 धारा–363,366,376 भा०दं०सं०, मु०अ०सं० 659/09 धारा–3 यू०पी० गुण्डा एक्ट, जिसमें अभियुक्त लल्ला सिंह उर्फ अरविन्द सिंह को जिला बदर किया जा चुका है। मु०अ०सं० 1547/09 धारा० 8/22 एन०डी०पी०एस० एक्ट, मु०अ०सं० 1548/09 धारा–25 आयुध अधिनियम, मु०अ०सं० 820/10 धारा–307 भा०दं०सं०, मु०अ०सं० 1402/11 धारा–25 आयुध अधिनियम, मु०अ०सं० 1404/11 धारा–30 ए एक्ट,

मु०अ०सं० 1405/11 धारा–25 आयुध नियम पंजीकृत हैं। इस गिरोह द्वारा भा०दं०वि० के अध्याय 16,17 व 22 के अन्तर्गत आने वाले अपराधों को कारित करके आम जनता में भय एवं आतंक व्याप्त किये हैं। इनके विरुद्ध कोई भी व्यक्ति शिकायत व गवाही देने को तैयार नहीं होता है। समाज विरोधी क्रिया कलाप में लिप्त रहकर आम जनमानस में आतंक व्याप्त किये हैं। इनकी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए मेरे द्वारा इनके विरुद्ध पंजीकृत अपराधों के आधार पर दिनांक 29.10.2011 को गैंग चार्ट तैयार करके क्रमशः उच्चाधिकारियों से अग्रसारित करने के पश्चात जिला मजिस्ट्रेट, हमीरपुर द्वारा अनुमोदन के पश्चात मुझ थानाध्यक्ष द्वारा उक्त गैंग के विरुद्ध दिनांक 10.11.2011 को समय 22 बजे वापसी में मु०अ०सं० 1440/11 धारा–2/3 गैंगस्टर एक्ट 1986 बनाम गैंगलीडर लल्ला सिंह उर्फ अरविन्द सिंह, वीर सिंह, अमर सिंह, हुकुम सिंह के विरुद्ध सूचना जुबानी के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कराया था। पेपर सं० 6 क गैंगचार्ट देखकर गवाह ने कहा कि यह वही गैंगचार्ट है, जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में तैयार किया गया है तथा जिलाधिकारी महोदय द्वारा अनुमोदित किया गया है। इस पर प्रदर्श क–1 डाला गया। पेपर सिं० 4 क चिक एफ०आई०आर० देखकर कहा कि यह वही एफ०आई०आर० है, जो मेरे द्वारा जुबानी लिखाई गई थी, जिस पर मेरे हस्ताक्षर हैं, जिस पर प्रदर्श क–2 डाला गया। इस संबंध में विवेचक ने मेरे बयान लिये थे।

8– बचाव पक्ष की ओर से उक्त साक्षी से प्रतिपरीक्षा की गई, प्रतिपरीक्षा में साक्षी ने कथन किया है कि ग्राम पत्योरा के किन व्यक्तियों ने यह बताया था कि इनका एक गिरोह है, उनके नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं हैं और न ही उन व्यक्तियों के नाम जब विवेचक ने मेरे बयान लिए उनको ही बताये। यह कहना सही है कि संगठित गैग के संबंध में नाम बताने वाले लोगों का नाम एफ०आई०आर० बयान में अंकित नहीं है। ये बताने वाले लोग ग्राम पत्योरा के न हो करके ग्राम पचखुरा के थे। यह सही है कि ग्राम पचखुरा के उन व्यक्तियों के नाम एफ०आई०आर० में लिखे व विवेचक को भी नहीं बताये थे। यह कहना सही है कि थाने पर अपराधियों के अपराध का रजिस्टर होता है, जिसमें अपराध अंकित किये जाते हैं। मुकदमों का निर्णय होने के पश्चात उसका परिणाम भी अंकित किया जाता है। मैंने गैंगचार्ट तैयार करते समय उन अपराधों का थाने पर मौजूद अभिलेख से अवलोकन कर लिया था। अभियुक्त अमर सिंह के खिलाफ गैंगचार्ट में केवल दो अपराध अंकित हैं, जिनका अ०सं० क्रमशः 1400/11 व 1402/11 धारा–25 आर्म्स एक्ट है। 1400/11 धारा–307 ताहिन्द का मुकदमा अमर सिंह के विरुद्ध लिखाया गया था। उसमें गिरफ्तारी के दौरान अ०सं० 1402/11 धारा–25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया था। मु०अ०सं० 1400/11 धारा–307 भा०दं०सं० के अलावा अमर सिंह किसी अन्य अभियोग में गैंगचार्ट के गैंग साथियों के साथ अभियुक्त नहीं है। अभियुक्त अमर सिंह सेना से रिटायर है। मुझे यह जानकारी नहीं है कि ये वर्ष 2009 में सेना से रिटायर हुए या नहीं। मुझे यह जानकारी नहीं है कि सेना में कार्यरत रहते इनकी उत्कृष्ठ सेवाओं की वजह से इन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार दिया गया है या नहीं। यह सही है कि अमर सिंह सेना से रिटायर होने के पश्चात कस्बा सुमेरपुर में स्वयं का मकान बनाकर रहता है। इनके ग्राम पचखुरा में अमर सिंह की किन व्यक्तियों से बुराई मुझे नहीं मालूम। यह कहना गलत है कि अमर सिंह की बुराई वाले लोगों के दवाब व प्रभाव में आकर पचखुरा के लोगों के कहने पर अमर सिंह के खिलाफ गलत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत कराई है और इसी कारण विवेचनाधिकारी ने भी उनके भय न बताये हों। यह भी कहना गलत है कि उक्त कारण से ही पचखुरा के लोगों के नाम अंकित नही किये। अमर सिंह के विरुद्ध थाना सुमेरपुर व ललपुरा में कोई अपराध हत्या, अपहरण लूट व अवैध वसूली के पंजीकृत नहीं हैं। अपराध से अमर सिंह ने क्या अवैध संपत्ति बनाई, इस बात का कोई उल्लेख एफ०आई०आर० में नहीं किया है और न ही विवेचनाधिकारी को बयान में बताया। इसके संबंध में विवेचक द्वारा अन्तर्गत धारा–14(1) जी०एस०टी० एक्ट की कार्यवाही की जानी थी, जो मुझे नहीं मालूम। यह सही है कि मेरी थाना

सुमेरपुर में बतौर एस०ओ० तैनाती के दौरान विवेचक द्वारा अमर सिंह के विरुद्ध 14 गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही नहीं की गई। यह कहना गलत है कि स्थानीय राजनीतिक दवाब व प्रशासनिक दवाब से अभियुक्त अमर सिंह के विरुद्ध ये एफ०आई०आर० पंजीकृत कराई हो। अभियुक्त अरविन्द उर्फ लल्ला सिंह के साथ केवल एक ही मुकदमा अ०सं० 1400/11 धारा–307 भा०दं०सं० में गैंगचार्ट में बताये गए अभियुक्त वीर सिंह, अमर सिंह व हुकुम सिंह हैं। इसके अतिरिक्त गैंगचार्ट में दिये गए अपरधों में से कोई अन्य सहअभियुक्त, अभियुक्त नहीं हैं। लल्ला उर्फ अरविन्द सिंह ग्राम पत्योरा का मूल निवासी है। गश्त के दौरान मैं पत्योरा गया था लेकिन ग्राम पत्योरा में किसी भी व्यक्ति ने लल्ला उर्फ अरविन्द सिंह के गिरोहबन्द होने की बात नहीं बताई और न ही किसी ने यह बताया कि लल्ला उर्फ अरविन्द सिंह ने भय व आतंक की वजह से मैंने मुकदमा नहीं लिखाया था। किसी मुकदमे के किसी गवाह ने भी यह शिकायत नहीं की कि भय व आतंक की वजह से मैं गवाही नहीं दे सका। डर व भय के कारण मुझ मुकदमा वादी को किसी ने अपना स्पष्ट नाम व पता नहीं बताया, इस कारण एफ०आई०आर० में उनका नाम अंकित नहीं किया गया है। ग्राम पत्योरा में थाना सुमेरपुर की पुलिस चौकी स्थित है और इस पुलिस चौकी में एक ही उपनिरीक्षक व चार आरक्षी की तैनाती नियत की गई है। गश्त के दिन जिस दिन मैंने यह एफ०आई०आर० पंजीकृत कराई है, उस दिन मैं पत्योरा चौकी गया था। उस दिन पत्योरा चौकी में तैनात उपनिरीक्षक व तैनात सिपाहिओं ने लल्ला उर्फ अरविन्द सिंह के भय व आतंक की शिकायत नहीं की थी। चौकी के सिपाहियों ने गैंग के संबंध में सूचना दी थी किन्तु एफ०आई०आर० में इसका कहीं जिक्र नहं किया गया है। पत्योरा चौकी से लल्ला सिंह का घर लगभग 300 मीटर की दूरी पर स्थित है। पत्योरा चौकी से कुछ दूरी तक ईंट का खड़ंजा व कुछ कच्चा रास्ता लल्ला सिंह के घर को जाता है। यह सही है कि लल्ला सिंह ने अपराध से क्या संपत्ति अर्जित की है, इसका उल्लेख एफ०आई०आर० में नहीं है और न ही मेरे विवेचक को दिये गए बयानों में है। पत्योरा गांव से लगी हुई पत्योरा खदान है, जो यमुना नदी के किनारे है व बेतवा नदी के भी किनारे है। यह कहना गलत है कि स्थानीय पुलिस थाना सुमेरपुर व चौकी में तैनात उ०नि० व सिपाहियान पत्योरा खदान से अवैध मौरंग निकलवाते थे व आने जाने वाले ट्रैक्टरों से अवैध वसूली करते थे, इसका विरोध किये जाने पर चौकी के कर्मचारियों व थाना सुमेरपुर के लोग लल्ला उर्फ अरविन्द से नाराज रहते थे। यह भी कहना गलत है कि इसी कारण से अवैध वसूली में अंकुश न लगे, इस कारण इसके विरुद्ध पुलिस के दवाब व प्रभाव में लेने के लिए कतई झूठा किस्सा बनाकर एफ०आई०आर० पंजीकृत कराई व कतई विवेचक को झूठे बयान दिये। मुझे यह जानकारी नहीं है कि लल्ला अपने पिता का इकलौता पुत्र है तथा यह भी जानकारी नहीं है कि इनके पिता बलवान सिंह सरकारी सेवायें कार्यरत रहे है। फिर कहा कि इनके पिता सरकारी सेवक थे। इनके पास कितनी जमीन है, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। यह कहना गलत है कि अपनी दिखाई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट को साबित करने के लिए मैं झूठा बयान दे रहा हूँ। मेरा बयान थानाध्यक्ष ललपुरा राकेश सरोज ने दिनांक 24.11.2011 को थाना सुमेरपुर में अंकित किया था। यह कहना गलत है कि राकेश सरोज एस०ओ० ललपुरा थे, मैं एस०ओ० सुमेरपुर था। यह कहना गलत है कि मैं झूठा बयान दे रहा हूँ। मैं दिनांक 10.11.2011 को मु०अ०सं० 1440/11 के पंजीकृत होने के समय एस०ओ० के पद पर कार्यरत था। मैंने इस मुकदमे की सूचना जुबानी अपने अधीनस्थ थाने में तैनात कां०मु० रामबाबू को बोलकर पंजीकृत कराई थी। मैंने इस घटना/अभियोग के पंजीकृत होने के पूर्व दिनांक 29.10.2011 को इस मुकदमा का गैंगचार्ट तैयार कर लिया था। गैंगचार्ट व अभियोग पंजीकृत कराने के बीच में लगभग 10–12 दिन का विलंब है, क्योंकि गैंगचार्ट मेरे द्वारा तैयार करने के पश्चात उच्चाधिकारियों के पास जाता है तथा अंत में जिला मजिस्ट्रेट के अनुमोदित होने के बाद मुकदमा पंजीकृत कराया जाता है। मेरे द्वारा गैंगचार्ट तैयार करने के बाद व जिला मजिस्ट्रेट के अनुमोदन के बीच जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष गैंगचार्ट के अभियुक्तगण द्वारा आर्थिक भौतिक लाभ अर्जित करने के संबंध में अपराधों के अतिरिक्त

अन्य कोई अभिलेखीय साक्ष्य गैंगचार्ट के अलावा प्रस्तुत नहीं किया था। अपराधों की प्रकृति के आधार पर यह मैंने सुनिश्चित किया कि इनके द्वारा आर्थिक व भौतिक लाभ लेने के लिये यह अपराध कारित किया जा रहा है। मैं थाना सुमेरपुर में लगभग 11 माह रहा। इस 11 माह के कार्यकाल में व थाने में पूर्व अभिलेखों के अनुसार भी इस प्रकरण के अभियुक्तगण के विरुद्ध ऐसा कोई अभियोग पंजीकृत नहीं था कि उनके द्वारा जबरन व दहशत के द्वारा आर्थिक लाभ आम जनता से वसूला जा रहा हो। अभियुक्त हुकुम सिंह थाना ललपुरा का रहने वाला है। मैंने हुकुम सिंह के संबंध में थाना ललपुरा से उसके आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी की थी लेकिन कोई भी अभियोग हुकुम सिंह के विरुद्ध पंजीकृत नहीं था। यह सही है कि अभियुक्त हुकुम सिंह के विरुद्ध थाना ललपुरा या उसके गांव के किसी कस्बे द्वारा ऐसी कोई शिकायत मुझसे नहीं की गई, जिससे ऐसा प्रतीत होता हो कि उसके द्वारा आर्थिक व भौतिक लाभ अर्जित किया जा रहा हो। गैंगचार्ट में अभियुक्त हुकुम सिंह के विरुद्ध मु०अ०सं० 1400/11 धारा–307 भा०दं०सं० व 1404/11 30 ए एक्ट के अलावा कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है। यह सही है कि मु०अ०सं० 1400/11 धारा–307 भा०दं०सं० का वादी मुकदमा एक पुलिस कांस्टेबल है। यह भी सही है कि अ०सं० 1404/11 धारा–30 ए एक्ट का वादी मुकदमा भी एक पुलिस वाला ही है, आम जनता नहीं। दिनांक 24.11.2011 को थानाध्यक्ष ललपुरा द्वारा मुझ वादी का बयान थाना सुमेरपुर में लिया गया व अंकित किया गया। उस समय मैं थानाध्यक्ष सुमेरपुर था व ललपुरा थानाध्यक्ष राकेश सरोज थे। मैं इस प्रकरण के विवेचक गिरेन्द्र सिंह एक ही रैंक के अधिकारी थे। यह कहना गलत है कि गैंगस्टर अधि० का व उसमें प्राविधानित विधि में अनदेखी करते हुए मेरे द्वारा यह गैंग चार्ट तैयार किया गया। यह कहना भी गलत है कि अभियुक्त हुकुम सिंह को मेरे द्वारा जानबूझकर उक्त प्रकरण में झूठा अभियुक्त बनाया गया। यह कहना भी गलत है कि मैं हुकुम सिंह को इस गैंगचार्ट से पूर्व जानता पहचानता नहीं था। लोगों के कहने पर बुराई भलाई के आधार पर उसका नाम इस प्रकरण में झूठा अंकित कर उसके विरुद्ध झूठा व गलत गैंगचार्ट प्रस्तुत किया। यह कहना भी गलत है कि मैं झूठा प्रकरण को बल देने के लिये आज न्यायालय में झूठा बयान दे रहा हूँ। यह कहना गलत है कि मैंने फर्जी कारगुजारी दिखाने व गलत आंकड़े बनाने के लिए यह झूठा मुकदमा कायम कराया है। ऐसा नहीं है कि मैंने कां० पन्ना लाला के कहने व उसके विभाग में होने के कारण यह गलत कार्यवाही की हो।

9– अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी **पी0 डब्लू0–2 रि० एस०आई० करन सिंह** ने न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी सशपथ मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 29.11.2008 को थाना सुमेरपुर में कां० मोहर्रिर के पद पर तैनात था। वादी श्रीराम कुमार सिंह पुत्र राजाराम सिंह निवासी ग्राम पत्योरा थाना सुमेरपुर द्वारा दाखिल तहरीर के आधार पर मु०अ०सं० 1759/2008 धारा–363, 366 भा०दं०सं० बनाम लल्ला सिंह उर्फ अर्जुन सिंह पुत्र बलवान सिंह आदि चार नफर के विरुद्ध एफ०आई०आर० चिक सं० 298/08 किता दाखिल की गई। पत्रावली में संलग्न कागज सं० 16क मेरे लेख व हस्ताक्षर, जिसमें मैं तस्दीक करता हूं कि फोटो कापी सिंलग्न है। जिसमें प्रदर्श क–3 डाला गया। दिनांक 29.09.2009 एस०आई० विजय सिंह द्वारा दाखिल फर्द बरामगी के आधार पर मु०अ०सं० 1547/09 धारा–8/22 एन०डी०पी०एस० एक्ट बनाम लल्ला सिंह आदि उर्फ अरविन्द सिंह के विरुद्ध एफ०आई०आर० चिक मेरे द्वारा किता की गई। पत्रावली में संलग्न कागज सं० 14क/1 चिक एफ०आई०आर० की फोटो कापी संलग्न है, जिसको मैं तस्दीक करता हूँ, प्रदर्श 3क जिसमें डाला गया। दिनांक 19.07.2010 एस०आई० श्री वासुदेव यादव द्वारा दाखिला फर्द बरामदगी के आधार पर मु०अ०सं० 1446/2010 धारा–25 आयुध अधिनियम बनाम वीर सिंह के विरुद्ध मुकदमा चिक एफ०आई०आर० र्ज की। पत्रावली में संलग्न कागज सं० 12क/10 जिसमें मेरे लेख व हस्ताक्षर

हैं। जिसको मैं तस्दीक करता हूं। जिसमें प्रदर्श क 4 क/2 डाला गया है। यह प्रपत्र फोटो कापी है, इसी पर प्रदर्श डाला गया है।

10– उक्त साक्षी से प्रतिपरीक्षा की गई, प्रतिपरीक्षा में साक्षी ने कथन किया है कि मु०अ०सं० 1445/2010 धारा–8/22 एन०डी०पी०एस० एक्ट व मु०अ०सं० 1446/ 10 में अरविन्द सिंह उर्फ लल्ला सिंह व अमर सिंह अभियुक्त नहीं हैं। मु०अ०सं० 1547/09 धारा–8/22 एन०डी०पी०एस० एक्ट व मु०अ०सं० 1548/09 में अभियुक्त अमर सिंह मुल्जिम नहीं है। यह मुकदमा एस०आई० श्री विजय सिंह द्वारा थाना सुमेरपुर में पंजीकृत कराया गया था। जिसमे लल्ला सिंह व अर्जुन को अभियुक्त बनाया गया है। उक्त दोनों मु०अ०सं० 1547/09 व 1548/09 के मुकदमे लल्ला व अरविन्द सिंह के खिलाफ कहां चेल मुझे जानकारी नहीं है। यह मुकदमे लल्ला उर्फ अरविन्द सिंह के सक्ष्य न्यायालय से निर्दोष घोषित हुए कि नहीं, मुझे जानकारी नहीं है। यह सही है कि उक्त दोनों अपराधों में लल्ला सिंह उर्फ अरविन्द सिंह जमानत पर हैं और आज न्यायालय में हाजिर हैं। अरविन्द सिंह उर्फ लल्ला सिंह का कोई गिरोह है कि नहीं, मुझे जानकारी नहीं है। मैं इसके निवास ग्राम पत्योरा कभी नहीं गया हूँ। अमर सिंह इनके साथ कभी उक्त मुकदमे में मुल्जिम नहीं रहे। अमर सिंह कहां के रहने वाले हैं, यह मुझे जानकारी है। अमर सिंह सेना में सुबेदार के पद पर कार्यरत थे कि नहीं मुझा जानकारी नहीं है। उन्हें अमर सिंह को श्रेष्ठ सैनिक के रूप में राष्ट्रपति द्वारा पदक दिया गया था, मैंने उनका नाम सुना है, वह एक सम्मानित ख्याति है। मैं थाना सुमेरपुर में वर्ष 2008 से 2011 तक तैनात रहा हूँ। अमर सिंह की कभी कोई शिकायत थाने में नहीं प्राप्त हुई एवं अच्छे और सम्मानित लोगों में गिनती हुई है। मु०अ०सं० 1759/2008 की जो फोटो प्रति प्रथम सूचना रिपोर्ट की जो मैंने शामिल की है, इस मुकदमे में लल्ला उर्फ अरविन्द सिंह पुत्र बलवान सिंह उसकी बहन रीतू सिंह पुत्री बलवान सिंह, कु० प्रिया पुत्री लल्ला सिंह की भांजी व सुनील कुमार उर्फ रेनू पुत्र रघुनन्दन प्रसाद को अभियुक्त बनाया गया है। इस मुकदमे में अभियुक्त इस मुकदमें का क्या परिणाम हुआ, मुझे जानकारी नहीं है। इस मुकदमे की घटना 18.11.2008 और इसकी सूचना 11 दिन बाद 29.11.2008 को पंजीकृत कराई गई। पत्योरा गांव में थाना सुमेरपुर की पुलिस चौकी है और उस पुलिस चौकी में एक उपनिरीक्षक सहित चार पांच पुलिस कां० की तौनाती रहती है। यह पुलिस चौकी उक्त मुकदमे के अभियुक्त अरविन्द उर्फ लल्ला सिंह के पुराने मकान में बनी है कि नहीं, मुझे जानकारी नहीं है। लल्ला सिंह के अवैध कमाई की है कि नहीं, मुझे जानकारी नहीं है। मेरी तैनाती के दौरान कोई अवैध कमाई की जानकार नहीं मिली। यह कहना गलत है कि थाने की पुलिस पत्योरा चौकी अवैध बालू खनन करती है। गांव वालों के द्वारा विरोध किये जाने पर फर्जी मुकदमे पंजीकृत कराये जाते हैं, जिसे ग्राम पत्योरा के लोगों के दवाब व प्रभाव में लेने के लिए झूठे मुकदमे पंजीकृत किये जाते हों। यह कहना गलत है कि सबूत बक्ष को फंसाने के लिये मैंने झूठा बयान दिया है तथा लल्ला उर्फ अर्जुन सिंह के विरुद्ध फर्जी मुकदमे पंजीकृत किये गए हों। प्रदर्श क–3 मु०अ०सं० 1759/2008 की एफ०आई०आर० की छाया प्रति है। इसमें अभियुक्त वीर सिंह मुल्जिम नहीं है। प्रदर्श क 4 मुकदमा अ०सं० 1547 व 1548/2009 की एफ०आई०आर० की छाया प्रति है जिसमें भी अभियुक्त वीर सिंह मुल्जिम नहीं है। प्रदर्श क 5 मु०अ०सं० 1445/10 व 1446/10 की एफ०आई०आर० की छायाप्रति है, उसमें अभियुक्त वीर सिंह अकेला मुल्जिम है। उका कोई सहअभियुक्त मुल्जिम नहीं है। मैं कभी ग्राम पत्योरा नहीं गया न मुझे किसी गिरोह की जानकारी है। मैंने आज जो साक्ष्य दी है, वह एफ०आई०आर० के आधार पर दी है। मु०अ०सं० 1545/2009 धारा–8/22 एन०डी०पी०एस० एक्ट थाना सुमेरपुर के अभियोग में हुकुम सिंह पुत्र रामजीवन अभियुक्त नहीं व मु०अ०सं० 1548/2009 धारा–25 आयुध अधिनियम में भी अभियुक्त नहीं है। मु०अ०सं० 1759/2008 धारा–363, 366 भा०दं०सं० थाना सुमेरपुर में भी हुकुम सिंह अभियुक्त नहीं है। मु०अ०सं० 1446/2010 व 1445/2010 में भी हुकुम सिंह

धारा–8/22 एन०डी०पी०एस० एक्ट व 25 आयुध अधिनियम में हुकुम सिंह अभियुक्त नहीं है। उक्त मुकदमे में वीर सिंह मुल्जिम है।

11– अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी **पी0 डब्लू0–3 साक्षी निरीक्षक शिवप्रसाद** ने न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी सशपथ मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक मेरी नियुक्ति थाना सुमेरपुर में वर्ष 2008–1010 तक रही है। दिनांक 29.11.2008 को श्री रामकुमार सिंह निवासी पत्योरा थाना सुमेरपुर द्वारा मु०अ०सं० 1759/2008 धारा–363, 366 भा०दं०सं० का मुकदमा अरविन्द सिंह पुत्र लल्ला सिंह आदि चार व्यक्तियों के विरुद्ध पंजीकृत कराया था। थाना प्रभारी द्वारा विवेचना मुझे सुपुर्द की गई थी। विवेचना से आरोप सुनील कुमार उर्फ रेनू, कुमारी रितु सिंह व कुमारी प्रया सिंह के विरुद्ध घटना कारित किये जाने की साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए थे, जिससे उन लोगों के नामजदगी गलती की गई थी। अपहर्ता कुमारी रूपा सिंह की बरामदगी की गई थी। अपहर्ता के कथन व मोडिकल रिपोर्ट आदि के आधार पर अभियोग में धारा–376 भा०दं०वि० की वृद्धि की गई और अभियुक्त अरविन्द सिंह उर्फ लल्ला सिंह के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर गिरफ्तारी करने के उपरान्त धारा–363, 366, 376 भा०दं०सं० में अरविन्द सिंह के विरुद्ध आरोप पत्र सं० 385/08 दिनांक 22.12.2008 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया। पत्रावली में संलग्न कागज सं० 17 क साक्षी ने देखकर कहा कि यह मूल आरोप पत्र की छाया प्रति है, जो मेरे द्वारा माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया है। जिसमें प्रदर्श क 5 डाला गया है। जिसको मैं तस्दीक करता हूँ। जिस फोटो कापी में मेरे हस्ताक्षर हैं, जिसे में प्रमाणित करता हूँ। दिनांक 29.09.2009 को उपनिरीक्षक श्री विजय सिंह थाना सुमेरपुर द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 1547/09 धारा–8/22 एन०डी०पी०एस० एक्ट व मु०अ०सं० 1548/09 धारा–25 शस्त्र अधिनियम विरुद्ध अरविन्द सिंह उर्फ लल्ला सिंह पंजीकृत कराये गए थे। उक्त दोनों अभियोग की विवेचना मुझे सुपुर्द की गई थी। मैंने बाद विवेचना अ०सं० 1547/09 में आरोप पत्र सं० 307/09 दिनांक 11.10.2009 व मु०अ०सं० 1548/09 धारा–25 शस्त्र अधिनियम में आरोप पत्र सं० 300/09 दिनांक 30.09.2009 को प्रेषित किया गया। पत्रावली में संलग्न कागज सं० 15 क/1, 15 क/2 साक्षी ने देखकर कहा कि मूल आरोप पत्र की छायाप्रति है, जो मेरे लेख में है व जिसमें मेरे हस्ताक्षर हैं, जिसमें प्रदर्श क–6 व प्रदर्श क–7 डाला गया। जिसको मैं तस्दीक करता हूँ। गैंगस्टर के विवेचक ने मेरे बयान लिये थे। नाजायज असलाह लेकर मादक पदार्थ तस्करी करकर और बलात्कार जैसे संगीन अपराध कारित करते हैं।

12– बचाव पक्ष की ओर से उक्त साक्षी से प्रतिपरीक्षा की गई, प्रतिपरीक्षा में साक्षी ने कथन किया है कि अरविन्द सिंह उर्फ लल्ला ग्राम पत्योरा का रहने वाला है। जो थाना सुमेरपुर के अन्तर्गत आता है। ग्राम पत्योरा में थाना सुमेरपुर की पुलिस चौकी है। जब आप थाना सुमेरपुर में तैनात थे तो मेरी जानकारी में है कि उस वक्त ग्राम पत्योरा की पुलिस चौकी में 4–5 कांस्टेबल व एक उपनिरीक्षक तैनात रहते थे। उस वक्त उपनिरीक्षक श्री विजय सिंह थाना सुमेरपुर में तैनात थे और पुलिस चौकी पत्योरा का भी कार्य देखते थे। श्री विजय सिंह वरिष्ठ उपनिरीक्षक नहीं थे, बल्कि मुझसे जूनियर थे। मु०अ०सं० 1547/2009 धारा–8/22 एन०डी०पी०एस० एक्ट व 1548/2009 धारा–25 शस्त्र अधिनियम के मुकदमों में इसके पूर्व बयान न्यायालय में हुए कि नहीं मुझे याद नहीं। मुझे जानकारी नहीं है कि उक्त दोनों मुकदमें में अरविन्द सिंह उर्फ लल्ला को निर्दोष घोषित किया जा चुका है। मु०अ०सं० 1759/08 धारा–363, 366, 376 भा०दं०सं० का जो मैंने आरोप पत्र प्रस्तुत किया है, उसमें वादी द्वारा सुनील कुमार उर्फ रेनू, कुमारी रीतू सिंह व कुमारी प्रिया सिंह को कतई झूठा फंसाया गया था, इस मुकदमें का माननीय न्यायालय में क्या परिणाम हुआ, मुझे जानकारी नहीं है। ग्राम पत्योरा की सरकारी पुलिस चौकी है, वो अरविन्द सिंह उर्फ लल्ला की जमीन पर है या नहीं, मुझे जानकारी नहीं है। मैं पत्योरा चौकी गया हूँ। वहां बनी पुरानी बिल्डिंग में ही पुलिस चौकी है। सरकार द्वारा कोई भी पुलिस चौकी का निर्माण नहीं कराया

गया है। ये कहना गलत है कि अरविन्द सिंह उर्फ लल्ला सिंह की जमीन पर बनी पुरानी बिल्डिंग (चौकी) को अरविन्द सिंह उर्फ लल्ला द्वारा जब भी खाली कराने का प्रयास व संबंधित पुलिस अधिकारियों को प्रार्थना पत्र दिया जाता है, तो थाना सुमेरपुर द्वारा कोई न कोई मुकदमा पंजीकृत कर, उसे दवाब या प्रभाव में लेने के लिए जेल भिजवा दिया जाता है। आज न्यायालय के समक्ष जो प्रदर्श क–5, प्रदर्श क–6 व प्रदर्श क–7 मैंने साबित किया है, वो मूल नहीं है, बल्कि छाया प्रतियां हैं। ये कहना गलत है कि सबूत पक्ष को बल देने के लिए सही बयान नहीं किया और झूठे आरोप पत्रों व फोटो कापी को गलत साबित किया। मैंने आज न्यायालय में जो साक्ष्य अंकित कराया है, उस साक्ष्य में अभियुक्त हुकुम सिंह पुत्र रामजीवन सिंह के विरुद्ध कोई साक्ष्य नहीं है।

13– अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी **पी0 डब्लू0–4 रामकुमार सिंह** ने न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी सशपथ मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 18.11.2008 को मेरी पुत्री कु० रूपा इटरा का मेला हनुमान मंदिर के पास दखने गई थी। वहीं पर मेरी पुत्री को रूती सिंह पुत्री बलवान सिंह, अरविन्द सिंह पुत्र बलवान सिंह व प्रिया जो अरविन्द सिंह की भांजी है, जो बजेटा की रहने वाली है। यह तीनों लोग मेरी पुत्री से मिले व हाथ पकड़कर बहला फुसलाकर भगा ले गए, जिसकी मैंने लिखित तहरीर दिनांक 29.11.2008 को थाना सुमेरपुर में दी। जिसमें मु०अ०सं० 1759/2008 की धारा–363,366 भा०दं०सं० पंजीकृत हुआ। उस समय मेरी बेटी नाबालिग थी। इस मुकदमे की विवेचना एस०आई० शिवप्रसाद द्वारा की गई थी, जिसमें आरोप पत्र प्रेषित हुआ और अरविन्द उर्फ लल्ला का चालान हुआ, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई। गैंगस्टर के विवेचक ने मेरे बयान लिये थे।

14– बचाव पक्ष की ओर से उक्त साक्षी से प्रतिपरीक्षा की गई, प्रतिपरीक्षा में साक्षी ने कथन किया है कि मेरा पत्योरा है, मैं अमर सिंह (अभियुक्त) को नहीं जानता हूँ कि वो कहाँ के रहने वाले है और क्या काम करते हैं। हमारी अमर सिंह से कभी कोई मुलाकात नहीं हुई। इसलिए मैं नहीं बता सकता कि अमर सिंह व लल्ला सिंह के कोई सम्बन्ध अमर सिंह से है या नहीं। मैनें वर्ष 2008 में प्रथम सूचना रिपोर्ट लल्ला सिंह, रीतू सिंह व प्रिया सिंह के खिलाफ लिखाई थी। यह रिपोर्ट मैनें दिनांक 18.11.2008 में लिखाई थी। पुलिस ने इसमें विवेचना की थी। यह सही है कि विवेचना में विवेचनाधिकारी ने रीतू सिंह व प्रिया सिंह का चालान नहीं किया था और रीतू सिंह व प्रिया सिंह के खिलाफ मुकदमा न्यायालय में चला था या नहीं मुझे जानकारी नहीं है। मेरा बयान हमीरपुर की न्यायालय में हुआ था। जब मेरा बयान न्यायालय में जिला जजी हमीरपुर में हुआ था तब उक्त रीतू सिंह व प्रिया सिंह अदालत में नहीं थी। यह मुझे जानकारी नहीं है कि अदालत में मुकदमा उनके खिलाफ न चलने के कारण न्यायालय में हाजिर नहीं थी। उस मुकदमें के केवल लल्ला सिंह को सजा हुई थी। अरविन्द सिंह उर्फ लल्ला मेरे गांव पत्योरा के रहने वाले हैं। अरविन्द सिंह उर्फ लल्ला सिंह के रिहायशी मकान से पुलिस चौकी पत्योरा करीब 200 कदम की दूरी पर है। यह कहना गलत है कि वो जगह बलवान सिंह की थी। स्वयं कहा कि वह जगह सरकारी है। जब यह घटना की मैनें रिपोर्ट की थी तब बलवान सिंह जिन्दा थे। बलवान सिहं मेरे गांव के है, ठाकुर हैं, इनके रिहायशी मकान से मेरा मकान लगभग 150 मीटर दूर है। मेरी व बलवान सिंह की कोई रंजिश नहीं थी। मेरा बलवान सिंह के यहाँ बोल–चाल था। ये बलवान सिंह सरकारी कर्मचारी थे और इनके पास 40–45 बीघा जमीन थी और बलवान सिंह के दो लड़के थे जिनमें से एक लड़का ट्रैक्टर दुर्घटना में खत्म हो गया था। उसके बाद केवल अरविन्द सिंह उर्फ लल्ला ही उनका अकेला लड़का है और वही पूरी जमीन जायदाद का मालिक है। मुझे यह ध्यान नहीं है कि मेरी अरविन्द सिंह के खिलाफ की गयी रिपोर्ट में कितने दिन बाद प्रस्तुत मुकदमें में जिसमें मैं गवाही दे रहा हूँ। प्रस्तुत मुकदमें के विवेचनाधिकारी ने मेरे कब बयान लिये थे। मुझे यह भी ध्यान नहीं है कि कब और कहाँ लिये थे। यह कहना गलत है कि विवेचनाधिकारी ने बगैर मुझसे पूछे बयान लिख लिया हो। मुझे याद नहीं है कि बयान देने के बाद मैनें हस्ताक्षर किये थे या अंगूठा लगाया था। यह कहना

गलत है कि गांवदारी की रंजिश व अरविन्द से विरोध होने के कारण मैं आज अदालत में झूठा बयान दे रहा हूँ। मेरी पुत्री के साथ हुई इस घटना में अभियुक्त वीर सिंह शामिल नहीं था और न ही वीर सिंह का इस घटना से कोई सम्बन्ध है।

15– अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी **पी0 डब्लू0–5 रि० निरीक्षक मोहम्मद शरीफ** ने न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी सशपथ मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि मु०अ०सं० 1440/2011 धारा–2/3 गैंगेस्टर एक्ट बनाम लल्ला सिंह उर्फ अरविन्द आदि की विवेचना पूर्व विवेचक राकेश कुमार सरोज के स्थानान्तरण के पश्चात मुझ एस०ओ० द्वारा पूर्व पर्चों का अवलोकन कर पर्चा नं० 14 दिनाकं 17.05.2012 को किता किया गया। उपरोक्त पर्चों के अवलोकन से मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्त वीर सिंह की गिरफ्तारी एवं गवाहान के बयान अंकित करना शेष है। पर्चा नं० 15 दिनांक 24.05.2012 को किता किया गया जिसमें अभियुक्त वीर सिंह की गिरफ्तारी के लिये दबिश दी गयी, अभियुक्त लल्ला सिंह का रिमाण्ड हेतु माननीय न्यायालय में 60 दिवसीय रिमाण्ड की याचना की गयी। पर्चा नं० 16 दिनांक 26.05.2012 को किता किया गया जिसमें बयान गवाह एस०आई० वासुदेव सिंह मु०अ०सं० 1445/2010 धारा–8/22 एन०डी०पी०एस० एक्ट का बयान अंकित किया गया। उसी दिन एस०आई० सुनहरा सिंह का बयान अंकित किया गया व उसी दिन कां० मुहर्रिर करन सिंह का बयान अंकित किया गया। इसके अतिरिक्त दिनांक 29.11.2008 को रामकुमार सिंह पत्योरा तहरीरी मु०अ०सं० 1759/2008 धारा–363,366 भा०दं०सं० बनाम लल्ला सिंह उर्फ अरविन्द आदि निवासीगण पत्योरा थाना सुमेरपुर के एस०आई० शिवप्रसाद सिंह नकल चिक बनाकर विवेचना का जिक्र किया गया। उसी दिन मु०अ०सं० 1759/2008 वादी मुकदमा रामकुमार सिंह पुत्र राजाराम सिंह निवासी ग्राम पत्योरा थाना सुमेरपुर का बयान अंकित किया गया। उसने बताया कि मेरी बेटी 18.11.2008 को रूपा इटरा हनुमान का मेला देखने गयी थी, वहीं से रीतू सिंह पुत्र बलवान सिंह, अरविन्द सिंह बहला फुसलाकर ले गये थे। मैंने 29.11.2008 को थाना सुमेरपुर में मुकदमा पंजीकृत कराया था, जिसकी विवेचना एस०आई० शिवप्रसाद द्वारा की गयी थी। पर्चा नं० 17 दिनांक 03.06.2012 को किता किया गया। जिसमें एस०आई० शिवप्रसाद ने बताया कि वर्ष 2008 से लेकर 2010 तक थाना सुमेरपुर में द्वितीय अफसर के रूप में नियुक्त था। दिनांक 29.11.2008 को मु०अ०सं० 1759/2008 धारा–363,366 भा०दं०सं० की विवेचना मुझ एस०आई० को प्राप्त हुई। साक्ष्य संकलन व मेडिकल के आधार पर 376 भा०दं०सं की बढ़ौतरी की थी, जिसमें अभियुक्त लल्ला सिंह उर्फ अरविन्द के विरुद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय दिनांक 22.12.2008 को प्रेषित किया। इसके अतिरिक्त दिनांक 29.09.2009 को थाना सुमेरपुर में पंजीकृत मु०अ०सं० 1447/2009 धारा–8/22 एन०डी०पी०एस० एक्ट अ०सं० 1548/2009 धारा–25 आयुध अधिनियम बनाम लल्ला सिंह उर्फ अरविन्द सिंह के विरुद्ध आरोप पत्र दिनांक 30.09.2009 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया। तत्पश्चात मैं एस०ओ० मय हमराह कर्मचारीगण के साथ रवाना होकर अभियुक्त वीर सिंह की गिरफ्तारी हेतु ग्राम पत्योरा के घर गया, दबिश दी गयी किन्तु अभियुक्त वीर सिंह गिरफ्तार नहीं हुआ। पर्चा नं० 18 दिनांकि 07.06.2012 को किता किया गया, जिसमें एस०आई० श्री विजय सिंह ने बताया कि मैं 2009 में थाना सुमेरपुर में नियुक्त था। दिनांक 29.09.2009 को मय हमराही कर्मचारी के गश्त में मामूर था। अभियुक्त लल्ला सिंह उर्फ अरविन्द निवासी पत्योरा 120 एक देशी तमंचा 315 बोर के साथ गिरफ्त्तार किया गया। तत्पश्चात वांछित अभियुक्त वीर सिंह की तलाश हेतु ग्राम पत्योरा व कस्बा सुमेरपुर में दबिश दी गयी मुखबिर से पता किया गया तो ज्ञात हुआ कि अभियुक्त वीर सिंह अपनी चल अचल संपत्ति हटा रहा है। जुर्म से बचने के लिये फरार होना चाहता है। न्यायालय में उपस्थित नहीं होना चाहता है। अभियुक्त वीर सिंह की एन०बी०डब्लू०, 82 दं०प्र०सं० की रिपोर्ट तैयार की गयी और अभियुक्त लल्ला सिंह उर्फ अरविन्द का माननीय न्यायालय से 60 दिवसीय रिमाण्ड का अनुरोध किया गया। पर्चा नं० 18 ए

दिनांक 07.06.2012 को किता किया गया, जिसमें अभियुक्त वीर सिंह के विरुद्ध माननीय न्यायालय से एन०बी०डब्लू० प्राप्त किया गया। पर्चा नं० 19 दिनांक 09.06.2012 को किता किया गया जिसमें अभियुक्त वीर सिंह के विरुद्ध प्राप्त एन०बी०डब्लू० की तामीला शुदा केस डायरी में अंकित किया गया। पर्चा नं० 20 दिनांक 12.06.2012 को किता किया गया जिसमें मैंने मुल्जिम के घर में दबिश दिये जाने का हवाला अंकित केस डायरी किया था। पर्चा नं० 21 दिनांक 14.06.2012 को किता किया जिसमें मैंने अभियुक्त वीर सिंह की गिरफ्तारी किये जाने व चल अचल संपत्ति हटाये जाने का विवरण अंकित किया। पर्चा नं० 22 दिनांक 18.06.2012 को किता किया जिसमें माननीय न्यायालय से अभियुक्त द्वारा चल अचल संपत्ति हटाकर बाहर जाने का विवरण अंकित कर एन०बी०डब्लू० प्राप्त किया था व 82, 83 दं०प्र०सं० प्राप्त करने हेतु रिपोर्ट प्रेषित की थी। दिनांक 19.06.2012 पर्चा नं० 23 किता किया था, जिसमें 82 दं०प्र०सं० प्राप्त होने का हवाला अंकित केस डायरी किया था। दिनांक 20.06.2012 को पर्चा नं० 24 किता किया था, जिसमें अभियुक्त के दरवाजे पर 82 दं०प्र०सं० की नोटिस चश्पा किये जाने का विवरण अंकित केस डायरी किया था। दिनांक 18.07.2012 को पर्चा नं० 25 किता किया था, जिसमे बयान वादी ए०आई० शिवप्रसाद व लेखक एफ०आई०आर० का बयान अंकित केस डायरी किया था। दिनांकि 23.07.2012 को बयान गवाह एस०आई० राम जियावन पाल का बयान अंकित केस डायरी किया था। दिनांक 24.07.2012 को पर्चा नं० 27 किता किया, जिसमें क्षेत्राधिकारी सदर दिनेश त्रिपाठी का बयान अंकित केस डायरी किया था। अग्रिम विवेचना एस०ओ० गिरेन्द्र सिंह द्वारा की गयी।

16– बचाव पक्ष की ओर से उक्त साक्षी से प्रतिपरीक्षा की गई, प्रतिपरीक्षा में साक्षी ने कथन किया है कि मैंने इस मामले का गैंगचार्ट देखा था। इस गैंगचार्ट में मु०अ०सं०–1400/2011 धारा–307,333,353/34,3(2)5 Sc/St Act में कुल चार अभियुक्त लल्ला सिंह, वीर सिंह, अमर सिंह व हुकुम सिंह मुल्जिम है। गैंगचार्ट में इस मामले के अलावा ऐसा कोई भी मामला नहीं है, जिसमें एक अभियुक्त अलावा दूसरा कोई भी अभियुक्त शामिल हो। मैंने दिनांक 26.05.2012 को राम कुमार सिंह पुत्र राजाराम सिंह निवासी ग्राम पत्यौरा का बयान अंकित किया था। इस व्यक्ति ने अभियुक्त वीर सिंह के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं दी। यह साक्षी मु०अ०सं०–1759/2 का वादी है। इस मुकदमें में केवल एक अभियुक्त है जिसका नाम लल्ला सिंह है। यह सही है कि इस साक्षी रामकुमार सिंह ने गैंग क्रिया कलाप सम्बन्धी कोई बात अपने बात में नहीं बतायी थी। इस साक्षी के अलावा मैंने जो भी बयान लिखे है, उनमें उन पुलिस अधिकारियों के है जिनमें अभियुक्तगण के विरुद्ध की गयी कार्यवाहियों का उल्लेख है। मैंने अपनी विवेचना के दौरान अभियुक्त वीर सिंह से बैंक खाते होने सम्बन्धी कोई जानकारी नहीं की और न राजस्व विभाग से यह जानकारी की, कि उसने अतीत में कौन सी भौतिक सम्पत्ति तैयार की है। दौरान विवेचना मैंने ऐसे किसी व्यक्ति का बयान दर्ज नहीं किया जिसने यह बताया हो कि अभियुक्तगण का कोई गैंग है और वे गैंग के रूप में कोई अपराध करते हो। यह कहना गलत है कि मैंने विभागीय पक्षपात करते हुये अभियुक्तगण को गैंगस्टर दर्शाने की नियत से गलत साक्ष्य अंकित किये हो। मु०अ०सं०–1547/2009 धारा 08/20 ndps Act की विवेचना मैंने नहीं की थी। इसी प्रकार मु०–1548/2009 धारा 25 आर्म्स एक्ट की विवेचना मैंने नहीं की थी। उक्त मुकदमों में लल्ला सिंह को न्यायालय ने निर्दोष घोषित कर दिया है जिसकी जानकारी मुझे नहीं है। मु०अ०सं०–820/2010 धारा–307 IPC की विवेचना मैंने नहीं की थी। इस मुकदमें में लाला सिंह निर्दोष घोषित किया जा चुका हो, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। दौरान विवेचना मैंने ऐसी कोई साक्ष्य संकलित नहीं की है जिससे यह कहा जा सके कि लन्ना सिंह ने अपराध से कोई अवैध संपत्ति बनायी हो तथा मैंने अभियुक्त द्वारा दिये गये बैंक खातों का भी अवलोकन नहीं किया जिसकी जानकारी मुझे नहीं है। मैंने मुकदमे की पूरी विवेचना नहीं की है जिस कारण मैं नहीं बता सकता कि इनका कोई गिरोह है

या नहीं है। मैंने गैंगस्टर के मुकदमे के अलावा अमर सिंह के विरुद्ध कोई विवेचना नहीं की। मेरी जानकारी में यह नहीं आया कि अमर सिंह एक रिटायर्ड फौजी थे। मेरी विवेचना के दौरान ऐसा कोई तथ्य नही आया कि अमर सिंह ने कोई अवैध संपत्ति बनायी हो। अमर सिंह के किसी बैंक खाते का दौरान विवेचना कोई निरीक्षण नहीं किया था। यह कहना गलत है कि लल्ला सिंह व अमर सिंह के विरुद्ध सही विवेचना न की गयी हो तथा प्रशासनिक व शासनिक दबाव में कार्यगुजारी दिखाने के लिए झूठा गैंगस्टर का मुकदमा लगाया गया हो और उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में दिये गये प्राविधानों को दरकिनार कर जबरदस्ती विधि विरुद्ध कार्यवाही की हो।

17– अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी **पी0 डब्लू0–6 पुलिस उपायुक्त दिनेश त्रिपाठी** ने न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी सशपथ मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि मैं वर्ष 2010 से लेकर 2011 तक सदर हमीरपुर में क्षेत्राधिकारी सदर के रूप में कार्यरत था। दिनांक 08.10.2011 को आरक्षी नरेश बाबू चौकी पत्योरा के तहरीरी सूचना के आधार पर थाना सुमेरपुर में मु० अ०सं० 1400/2011 धारा 307,333,353,34 IPC व 3(2) (5) SC/ST Act एवं 2(B) DP Act बनाम 1. अमर सिंह 2. हुकुम सिंह 3. अरविन्द सिंह उर्फ लल्ला 4. वीर सिंह के विरुद्ध पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना मेरे द्वारा की गई। साक्ष्य संकलन के आधार पर विवेचना में अभियुक्तगण 1. अमर सिंह 2. हुकुम सिंह 3. अरविन्द सिंह उर्फ लावा के विरुद्ध आरोप पत्र सं० 273/2011 दिनांक 31.10.2011 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया। इसके पश्चात मेरा स्थानान्तरण हो गया, शेष अभियुक्तगण की विवेचना क्षेत्राधिकारी अरविन्द पाण्डेय द्वारा की गई। पत्रावली में संलग्न कागज सं० 19 क/3 साक्षी ने देखकर कहा यह वही मूल आरोप पत्र की फोटोप्रति है जो मेरे हस्तलेख में है जिस पर मेरे हस्ताक्षर हैं, जिसे न्यायालय प्रेषित किया गया है। संलग्न पत्रावली है। गैंगस्टर के विवेचक ने मेरे बयान लिये थे।

18– बचाव पक्ष की ओर से उक्त साक्षी से प्रतिपरीक्षा की गई, प्रतिपरीक्षा में साक्षी ने कथन किया है कि पत्रावली में संलग्न कागज सं० 19 क/3 मरे समक्ष है इसके कालम सं० 1 में सूचना देने वाले का नाम व पता अंकित नहीं है। जब यह मुकदमा कायम हुआ था तब थाना सुमेरपुर में श्री संजय कुमार सिंह थानाध्यक्ष थे। मुझे याद नहीं है कि मुकदमा लिखे जाने के पूर्व ही श्री संजय कुमार सिंह तत्कालीन थानाध्यक्ष सुमेरपुर चोटहिल को जिला अस्पताल हमीरपुर मुकदमा लिखे जाने के करीब दो घण्टे पूर्व ही इलाज हेतु ले आये थे। जिसे चॉट आई थी, वह पत्योरा चौकी में ही जो थाना सुमेरपुर की पुलिस चौकी है में ही आरक्षी के पद पर नियुक्त था। उस समय पत्योरा चौकी में उपनिरीक्षक कौन था, यह मुझे याद नहीं है। मुझे याद नहीं है कि पत्योरा की जो पुलिस चौकी है वह अरविन्द सिंह उर्फ लल्ला के ही पुराने मकान में है और मुझे यह भी जानकारी में नहीं है कि पुलिस चौकी को अपने मकान से खाली कराने के लिए कहने पर पुलिस ने लल्ला सिंह पर मुकदमा लगाकर चालान कर देते हैं। मुझे याद नहीं है कि प्रस्तुत मुकदमें के अभियुक्त अमर सिंह पूर्व में सेना में तैनात रहे है कि नहीं रहे। अभियुक्त अमर सिंह पत्योरा गांव के रहने वाले नहीं थे बल्कि वह पचखुरा महान के रहने वाले थे। गैंग चार्ट में इस मुकदमें के अतिरिक्त अन्य कोई मुकदमा इस मुकदमें के पूर्व पंजीकृत नहीं है। मुझे विवेचना के दौरान इस बात की कोई जानकारी नहीं हुई कि इनकी कोई अवैध सम्पत्ति है। इस सम्बन्ध में मैंने कोई विवेचना नहीं की। मु०अ०सं० 1400/2011 में क्या परिणाम हुआ मेरी जानकारी में नहीं है। पुलिस वालों के ऊपर अपराधियों ने गोली मारी थी। अपराधियों के नाम पूछने पर साक्षी ने कहा मुझे नहीं मालूम है। आगे कहा कि मेरे पास केस डायरी नहीं है। मेरे द्वारा गैंगस्टर अधिनियम मु०अ०सं० 1440/2011 की विवेचना नहीं की गई। आज मैं जिस मुकदमें में गवाही दे रहा हूँ, उस मुकदमें से मेरा कोई सम्बन्ध नहीं था। मेरे द्वारा SC/ST की विवेचना की गई। SC/ST के मुकदमें से सम्बन्धित मजरूबान का मेरे द्वारा बयान अंकित किया गया था।

प्रश्न–क्या उक्त प्रकरण के मजरूबान द्वारा आपको ऐसा कोई बयान दिया गया था कि अभियुक्तगण द्वारा स्थानीय पुलिस (चौकी पत्योरा) से कोई पैसे की मांग की जा रही थी और पैसा न देने पर इन लोगों द्वारा उन पर हमला किया गया?

उत्तर–मुझे यह याद नहीं है।

प्रश्न–क्या आप केस डायरी देख कर बता सकते हैं?

उत्तर–मेरे पास केस डायरी नहीं है।

मजरूबान द्वारा मुझे ऐसा कोई बयान नहीं दिया गया था कि स्थानीय पुलिस (चौकी पत्योरा) से कोई पैसे की मांग की जा रही थी और पैसा न देने पर इन लोगों द्वारा उन पर हमला किया था। जब SC/ST Act का मुकदमा लिखा गया था उस समय गैंगस्टर एक्ट के मुकदमें की कोई कार्यवाही नहीं हुई थी। जब मैं हमीरपुर में क्षेत्राधिकारी पद पर तैनात था और मेरे द्वारा इस प्रकरण (SC/ST Act) की विवेचना की गई थी। उस प्रकरण से पूर्व मेरे द्वारा कोई भी अभियुक्तगण के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट (गिरोहबन्ध अधि०) की कार्यवाही नहीं की गई थी।

19– अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी **पी0 डब्लू0–7 निरीक्षक राकेश कुमार सरोज** ने न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी सशपथ मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि मु०अ०सं० 1440/2011 धारा– 2/3 Gangster Act की विवेचना पुलिस अधीक्षक, हमीरपुर के आदेश रीडर/एस०आर०/2011 दिनांक 15.11.2011 के आदेश के क्रम में मुझे दिनांक 17.11.2011 को प्राप्त हुआ। आदेश का अवलोकन कर विवेचना कारित किया गया। दिनांक 17.11.2011 को पर्चा सं० 1 किता किया गया जिसमें आदेश नकल, एफ०आई०आर० की नकल, गैंग चार्ट की नकल, जी०डी० नकल, एफ०आई०आर० लेखक हेड का० रामबाबू का बयान, मुकदमा उपरोक्त के मुख्य गवाह का० 148 आनंद मोहन का बयान अंकित किया गया। गवाह ने बताया कि मुकदमा उपरोक्त अभियुक्तगण 1. लल्ला सिंह उर्फ अरविन्द पुत्र बलवान सिंह निवासी ग्राम पत्यौरा थाना सुमेरपुर जिला हमीरपुर, 2. अमर सिंह पुत्र राजबहादुर निवासी ग्राम पचखुरा थाना सुमेरपुर जिला हमीरपुर 3. हुकुम सिंह पुत्र रामजीवन सिंह निवासी रूरीपारा थाना ललपुरा जिला हमीरपुर जिला कारागार हमीरपुर में बंद चल रहे है, जिनके खिलाफ आप कार्यवाही कर सकते हैं। अभियुक्तगण को मुकदमा उपरोक्त में तलब करने हेतु रिपोर्ट तैयार की गई। दिनांक 18.11.2011 को पर्चा सं० 2 किला किया गया जिसमें माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अभियुक्तगण 1. लल्ला सिंह उर्फ अरविन्द पुत्र बलवान सिंह निवासी ग्राम पत्यौरा थाना सुमेरपुर जिला हमीरपुर, 2. अमर सिंह पुत्र राजबहादुर निवासी ग्राम पचखुरा थाना सुमेरपुर जिला हमीरपुर 3. हुकुम सिंह पुत्र रामजीवन सिंह निवासी रूरीपारा थाना ललपुरा जिला हमीरपुर को तलब करने हेतु रिपोर्ट प्रेषित की गई। माननीय न्यायालय ने दिनांक 25.11.2011 को तलब करने का आदेश जारी किया। पर्चा सं० 3 जो दिनांक 24.11.2011 को किता किया गया जिसमें मुकदमा उपरोक्त के वादी श्री संजय कुमार सिंह, तत्कालीन थानध्यक्ष का बयान अंकित किया गया। दिनांक 25.11.2011 को पर्चा सं० 4 किता किया गया जिसमें मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्तगण 1. लल्ला सिंह उर्फ अरविन्द पुत्र बलवान सिंह निवासी ग्राम पत्यौरा थाना सुमेरपुर जिला हमीरपुर, 2. अमर सिंह पुत्र राजबहादुर निवासी ग्राम पचखुरा थाना सुमेरपुर जिला हमीरपुर 3. हुकुम सिंह पुत्र रामजीवन सिंह निवासी रूरीपारा थाना ललपुरा जिला हमीरपुर का रिमांड दिनांक 20.01.2012 तक माननीय न्यायालय ने स्वीकृत किया है। दिनांक 23.12.2011 को पर्चा सं० 5 किता किया गया जिसमें अभियुक्त वीर सिंह पुत्र जयबहादुर निवासी ग्राम पत्यौरा थाना सुमेरपुर जिला हमीरपुर की गिरफ्तारी का प्रयास किया गया। दिनांक 02.01.2012 को पर्चा सं० 6 किता किया गया जिसमें मुकदमा उपरोक्त के गवाहान का० दिनेश पटेल का बयान अंकित किया गया। दिनांक 09.01.2012 को पर्चा सं० 7 किता किया गया जिसमें मु०अ०सं० 1402/2011, धारा 25 आर्म्स एक्ट व मु०अ०सं० 1404/2011 धारा 30 आर्म्स एक्ट व मु०अ०सं०

1405/2011 धारा 25 आर्म्स एक्ट के वादी श्री संजय कुमार सिंह तत्कालीन थानाध्यक्ष का बयान अंकित किया गया। दिनांक 19.01.2012 को पर्चा सं० 8 किता किया गया जिसमें मु०अ०सं० 1351/2011 धारा 8/22 एन०डी०पी०एस० एक्ट व मु०अ०सं० 1352/2011 धारा 25 आर्म्स एक्ट के गवाह एस०आई० गौतम कुमार के बयान अंकित किए गए तथा अभियुक्तगण 1. लल्ला सिंह उर्फ अरविन्द पुत्र बलवान सिंह निवासी ग्राम पत्यौरा थाना सुमेरपुर जिला हमीरपुर, 2. अमर सिंह पुत्र राजबहादुर निवासी ग्राम पचखुरा थाना सुमेरपुर जिला हमीरपुर का रिमांड समाप्त हो रहा है। रिमांड बढ़ाने हेतु रिपोर्ट तैयार की गई। दिनांक 20.01.2012 को पर्चा सं० 9 किता किया गया जिसमें अभियुक्तगण 1. लल्ला सिंह उर्फ अरविन्द पुत्र बलवान सिंह निवासी ग्राम पत्यौरा थाना सुमेरपुर जिला हमीरपुर व 2. हुकुम सिंह पुत्र रामजीयन सिंह निवासी ग्राम रूरीपारा थाना ललपुरा जिला हमीरपुर का रिमांड दिनांक 16.03.2012 तक माननीय न्यायालय ने बढ़ा दिया। दिनांक 11.02.2012 को पर्चा सं० 10 किता किया गया जिसमें अभियुक्त वीर सिंह की गिरफ्तारी का प्रयास किया गया। दिनांक 16.03.2012 को पर्चा सं० 11 किता किया गया जिसमें अभियुक्त वीर सिंह की गिरफ्तारी का प्रयास किया गया। दिनांक 16.03.2012 को पर्चा सं० 11A किता किया गया जिसमें अभियुक्त हुकुम सिंह की जमानत होने के कारण अभियुक्त लल्ला उर्फ अरविन्द सिंह निवासी उपरोक्त का रिमांड दिनांक 11.05.2012 तक माननीय न्यायालय ने बढ़ा दिया। दिनांक 19.04.2012 को पर्चा सं० 12 किता किया गया जिसमें मु०अ०सं० 1404/2011 के एफ०आई०आर० लेखक नरेश बाबू का बयान अंकित किया गया। दिनांक 18.05.2012 को पर्चा सं० 13 किता किया गया जिसमें मेरा स्थानांतरण होने के कारण अतिरिक्त कार्यवाही अन्य विवेचक द्वारा लिखे जाने का अंकित किया गया है।

20– बचाव पक्ष की ओर से उक्त साक्षी से प्रतिपरीक्षा की गई, प्रतिपरीक्षा में साक्षी ने कथन किया है कि इस मुकदमे के वादी संजय कुमार सिंह थे। वह उस समय थाना सुमेरपुर में तैनात थे। वह एस०ओ० के पद पर थे। मैं भी थाना ललपुरा में एस०ओ० के पद पर तैनात था। थाना सुमेरपुर व थाना ललपुरा की सीमा लगी हुई है। संजय कुमार सिंह और मैं बराबर के समकक्ष अधिकारी थे। जो मैंने विवेचना की है वह केवल जो मुकदमे कायम हुए थे, उन्ही के संबंध की प्र०सू०रि० के संबंध में की है। दौरान विवचना मैंने गैंग चार्ट का अवलोकन किया था। अवलोकन से मेरी जानकारी में आया था कि अमर सिंह के विरुद्ध मु०अ०सं० 1400/2011 व 1402/2011 के अतिरिक्त कोई भी मुकदमे उसके पूर्व पंजीकृत नहीं थे। मेरी जानकारी में नहीं आया कि अभियुक्त अमर सिंह सेना में कार्यरत थे और यह भी जानकारी में नहीं आया कि इनके उत्कृष्ट कार्य कार्य के लिए राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल के द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया था और उत्कृष्ट सेवाओं का प्रमाण पत्र दिया गया था।

उक्त साक्षी से न्यायालय द्वारा की गई प्रति परीक्षा की गई कि क्या अमर सिंह व लल्ला सिंह द्वारा डरा धमका कर कोई आर्थिक लाभ किसी से प्राप्त किया गया है?

उत्तर– मुकदमा उपरोक्त के गवाहों ने बताया था कि यह लोगो को डराते धमकाते है। इनके भय के कारण कोई मुकदमा नहीं लिखाना चाहता है। गवाह ने कहा कि मुझे अभियुक्त के आर्थिक श्रोत के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इनका गैंग लीडर लल्ला सिंह उर्फ अरविन्द है। बाकी तीन लोग गैंग के सदस्य है।

मुझे जानकारी नहीं हो पाई कि अमर सिंह पुत्र राजबहादुर सिंह सेना से वर्ष 2009 में सेवानिवृत्त हुए थे। मैंने अपने सहयोगी संजय कुमार सिंह और उनके साथ के कां० कर्मचारियो के अतिरिक्त जनता के किसी आदमी का बयान अंकित नहीं किये जिसने यह कहा कि अमर सिंह व लल्ला सिंह ने मुझे डराते धमकाते है और इन्ही की डर की वजह से मुकदमा नहीं लिखाया जाता। यह सही है कि उन किसी भी व्यक्ति के नाम व पते मैने अपनी विवेचना में संकलित नहीं किए है और न ही उनके बयान अंकित किए है क्योंकि आपसी भलाई बुराई के कारण व डर भय के कारण किसी

व्यक्ति ने गवाही नहीं दी है और न नाम पते बताए। लल्ला सिंह उर्फ अरविन्द ग्राम पत्यौरा के रहने वाले है तथा अमर सिंह ग्राम पचखुरा के रहने वाले है। दोनो ग्राम सभाएं अलग–अलग है और दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी इस बात की, इस समय मुझे जानकारी नहीं है। पचखुरा मैं दौरान विवेचना गया था। थाना सुमेरपुर से पचखुरा जाने की जी०डी० मैने संकलित नहीं की है और न ही केस डायरी में ही रवानगी जी०डी० का उल्लेख किया है। ऐसा नहीं है कि सबूत पक्ष को बल देने के लिए मैं पचखुरा जाने वाली बात कर रहा हूं। ग्राम पत्यौरा में थाना सुमेरपुर की पुलिस चौकी है और उस पुलिस चौकी में एक उप निरीक्षक सहित 5–6 कां० रहते है। यह पुलिस चौकी लल्ला उर्फ अरविन्द सिंह के पुराने मकान में स्थित है या नहीं, यह मुझे जानकारी नहीं है। मैं पत्यौरा पुलिस चौकी जा चुका हूं। पुलिस चौकी मैंने दौरान विवेचना गैंग चार्ट का अवलोकन किया था। इस गैंग बार्ट के अनुसार मु०अ०सं० 1400/2011 के अलावा अन्य कोई ऐसा मामला मेरे संज्ञान में नहीं आया जिसमें इस मामले के चारो अभियुक्त एक साथ मुल्जिम हो। मैंने वादी संजय कुमार सिंह थानाध्यक्ष सुमेरपुर का बयान दिनांक 24.11.2011 को अंकित किया था जिसमें उक्त साक्षी ने बताया था कि गैंग लीडर अपने सदस्यो के साथ मिलकर आर्थिक व भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए हत्या जैसी आपराधिक घटनाए कारित करते है। इस गैंग चार्ट में मुझे ऐसा कोई मामला नहीं मिला जिसमें उक्त चारो अभियुक्त किसी हत्या या अपहरण के मामले में एक साथ अभियुक्त हो। इस गैंग चार्ट के अलावा दौरान विवेचना मेरे संज्ञान में नहीं आया जिसमें उक्त चारो अभियुक्त एक साथ मुल्जिम हो। मुझे दौरान विवेचना ऐसे व्यक्ति मिले थे, जिन्होंने मुझे बताया था कि मैंने डर के कारण इन अभियुक्तो के खिलाफ मुकदमे नहीं लिखाए। ऐसा बताने वाले अलग–अलग गांव के थे। किस गांव के थे, मैं नहीं बता सकता। उन लोगो ने अपना नाम नहीं बताया। चूंकि उक्त लोग गवाही नहीं देना चाह रहे थे इसलिए मैंने यह बताने की कोशिश नहीं की कि वह लोग कौन है और कहां के है। मुझे वादी मुकदमा ने भी यह नहीं बताया था कि ऐसे कौन–कौन लोग हैं, जो इन अभियुक्तों से पीड़ित है और मुकदमा नहीं लिखाया गया है। यह बात मैंने वादी से नहीं पूछी थी। पुलिस के गवाहों के बयान और गैंगचार्ट के अलावा मुझे आम जनता से ऐसी कोई सामग्री नहीं मिली, जिससे इनके गैंगस्टर होने की पुष्टि होती है। स्वंय कहा कि मैने विवेचना बीच में छोड़ दी थी। बाद के विवेचक को कुछ मिला हो, तो मुझे जानकारी नहीं है। मैंने अपने विवेचनाकाल में इन अभियुक्तो द्वारा गैंगस्टर के रूप में कमाई गई किन्ही संपत्तियो की जानकारी नहीं दी थी। यह कहना गलत है कि मैंने जितनी भी विवेचना की है, वह एफ०आई०आर० का समर्थन करने के लिए मशीनवत की है. जिसमें कोई सच्चाई न हो।

21– अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी **पी0 डब्लू0–8 थानाध्यक्ष गिरेन्द्र कुमार सिंह** ने न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी सशपथ मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 06.08.2012 को मैं थाना ललपुरा में थानाध्यक्ष के पद पर कार्यरत था। मु०अ०सं० 1440/2011 धारा–2/3 गैंगस्टर एक्ट बनाम लल्ला उर्फ अरविन्द सिंह चार नफर आदि की विवेचना पूर्व विवेचक मुहम्मद शरीफ के स्थानान्तरण के उपरान्त मुझे उपनिरीक्षक को प्राप्त हुई। पर्चा नं० 28 दिनांक 06.08.2012 को किता किया गया, जिसमें अभियुक्त वीर सिंह की गिरफ्तारी किया जाना शेष है। अभियुक्तगण का 60 दिवसीय रिमाण्ड प्राप्त करने हेतु आवेदन न्यायालयच में किया गया। पर्चा नं० 28 ए दिनांक 06.08.2012 को किता किया गया, जिसमें मुकदमा उपरोक्त अभियुक्त लल्ला सिंह कारागार झांसी से न्यायालय में हाजिर है, जिसका बयान किता किया गया तथा अभियुक्त हुकुम सिंह जो कि जमानत पर बाहर था तथा लल्ला सिंह से मिलने आया था, उसने भी बयान उपरोक्त अभियुक्त हुकुम सिंह का बयान अंकित किया गया। पर्चा नं० 29 दिनांक 10.08.2012 को किता किया गया, जिसमें फरार अभियुक्त वीर सिंह गिरफ्तारी हेतु दबिश दी गई, दस्तयाब नहीं हुआ। पर्चा नं० 30 दिनांक 20.08.2012 को किता किया गया, जिसमें एस०आई० श्री गौतम कुमार का बयान अंकित किया गया, जो कि मु०अ०सं० 1351/

2011 तथा 1352/2011 धारा–22 एन०डी०पी०एस० एक्ट व 25 आयुध अधिनियम का वादी मुकदमा है। बयान कां० सतेन्द्र कुमार सिंह तथा कां० दिलीप कुमार मिश्रा का बयान अंकित किया गया है। उपरोक्त दोनों गवाह चिक लेखक हैं। पर्चा नं० 31 दिनांक 24.08.2012 को किता किया गया जिसमें अभियुक्त वीर सिंह की गिरफ्तारी हेतु दबिश दी गई, दस्तयाब नहीं हुआ, जो अपनी चल अचल संपत्ति को हटा बढ़ा रहा है कि बात प्रकाश में आई तथा अभियुक्त की फरारी के संबंध में दैनिक अखबार अमर उजाला में 31.08.2012 को प्रकाशन कराया गया। पर्चा नं० 32 दिनांक 27.08.2012 को किता किया गया। जमानत पर रिहा अभियुक्त अमर सिंह का बयान अंकित किया गया तथा फरार अभियुक्त वीर सिंह गिरफ्तारी हेतु दबिश दिया गया, दस्तयाब नहीं हुआ। पर्चा नं० 33 दिनांक 07.09.2012 को किता किया गया, जिसमें अभियुक्त वीर सिंह के विरुद्ध एन०बी०डब्लू० तथा 82 दं०प्र०सं० जारी होने के बावजूद भी न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहा है और न ही गिरफ्तारी हो सकी, जिस पर पुलिस अधीक्षक, हमीरपुर के द्वारा दिनांक 06.09.2012 को पांच हजार का इनाम अभियुक्त वीर सिंह पर घोषित किया गया, आदेश संलग्न है। पर्चा नं० 34 दिनांक 24.09.2012 को किता किया गया जिसमें मु०अ०सं० 1400/2011 धारा–307, 332, 353, 34 भा०दं०सं० व 3(2), 5 एस०सी०/एस०टी० एक्ट व 7 क्रि०लॉ० एमेंडमेंट एक्ट के विवेचक श्री दिनेश त्रिपाठी क्षेत्राधिकारी के बयान अंकित किया गया। पर्चा नं० 35 दिनांक 298.09.2012 को किता किया गया जिसमें फरार अभियुक्त वीर सिंह के विरुद्ध 83 दं०प्र०सं० प्राप्त करने हेतु न्यायालय में रिपोर्ट दी गई। पर्चा नं० 36 दिनांक 14.10.2012 को किता किया गया जिसमें फरार अभियुक्त वीर सिंह के विरुद्ध मु०अ०सं० 1400/2011 थाना सुमेरपुर के अभियोगों में अभियुक्त के विरुद्ध दिनांक 11.05.2012 को कुर्की की जा चुकी है। जिसकी फर्द कुर्की की छाया प्रति प्राप्त कर नकल की गई फर्द कुर्की की कापी (कार्बन) संलग्न केस डायरी है। पर्चा न० 37 दिनांक 22.10.2012 को किता किया गया जिसमें मुकदमा उपरोक्त चारों अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप पत्र मुकदमा चलाये जाने हेतु अनुमति प्राप्त करने के लिए पुलिस अधीक्षक, हमीरपुर को रिपोर्ट प्रेषित। पर्चा नं० 38 दिनांक 06.112.2012 को किता किया जिसमें पुलिस अधीक्षक हमीरपुर महोदय से प्राप्त अभियोजन स्वीकृति की नकल की गई। जिसकी आदेश प्रति संलग्न केस डायरी तथा अभियुक्तगणों के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर आरोप पत्र सं० 124/2012 धारा–2/3 गैंगस्टर एक्ट बनाम लल्ला सिंह उर्फ अरविन्द निवासी पत्योरा थाना सुमेरपुर, 2. अमर सिंह पुत्र राजबहादुर निवासी पचखुरा थाना सुमेरपुर जिला हमीरपुर, 3. हुकुम सिंह पुत्र रामजीवन सिंह निवासी रूरीपारा थाना ललपुरा, 4. अभियुक्त वीर सिंह पुत्र जयबहादुर सिंह निवासी पत्योरा थाना सुमेरपुर जनपद हमीरपुर (मफरूरी) आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया। अभियुक्तगण गैंग बनाकर अपने आर्थिक भौतिक व अन्य लाभ के लिए अपराध कारित करते हैं, जिससे समाज में भय व्याप्त है। जनता का कोई व्यक्ति इनके खिलाफ रिपोर्ट लिखाने व गवाही देने के लिए तैयार नहीं होता है। पत्रावली में संलग्न कागज सं० 7 क/2 साक्षी ने देखकर कहा कि यह वही मूल अभियोजन स्वीकृति है, जो पुलिस अधीक्षक हमीरपुर से प्राप्त हुई थी, जिसमें प्रदर्श क–8 डाला गया। पत्रावली में संलग्न कागज सं० 3 क साक्षी ने देखकर कहा ये वही मूल आरोप पत्र है, जो मेरे हस्तलेख में है, जिसमें मेरे हस्ताक्षर हैं, जिस पर प्रदर्श क–9 डाला गया।

22– बचाव पक्ष की ओर से उक्त साक्षी से प्रतिपरीक्षा की गई, प्रतिपरीक्षा में साक्षी ने कथन किया है कि मैंने दौरान विवेचना इस मामले के गैंगचार्ट का अवलोकन किया था। गैंगचार्ट आज मेरे सामने है। इस गैंगचार्ट के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि गैंगचार्ट में अंकित मामलों में केवल एक मामला 1400/2011 धारा–307, 333, 303, 34 भा०दं०सं० व 3(2), 5 एस०सी०/एस०टी० एक्ट ही जैसा मामला है, जिसमं इस मुकमें में चारों आरोपित लिये गए हैं। इस मामले 1400/2011 में विचारण का क्या परिणाम निकला, मुझे जानकारी नहीं है। जब मुझे

आरोप पत्र भेजा तब यह मामला विचाराधीन था। मैंने दौरान विवेचना यह जानने के लिए कि अभियुक्तगण वीर सिंह ने गिरोहबन्द की क्रिया कलापों से क्या आय अर्जित की है, राजस्व विभाग से कोई रिपोर्ट नहीं मांगी थी। मुझे दौरान विवेचना यह जानकारी नहीं हो पाई कि अभियुक्त वीर सिंह ने गैंगस्टर क्रिया कलापों से क्या आय अर्जित की है। मैंने इस मामले की विवेचना 06.08.2012 को ली थी। इसके पूर्व इसकी विवेचना मोहम्मद शरीफ तथा राकेश सरोज कर रहे थे। मैंने जितनी विवेचना की थी, उस दौरान मुझे जनता का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला, जिसने अभियुक्तगण की गिरोहबन्दी गतिविधियों के बारे में कोई बात बताई हो। इस मामले की केस डायरी मेरे सामने है। मैंने पहले के पर्चों का दौरान विवेचना किया था, पूर्व विवेचकों द्वारा भी जनता के किसी व्यक्ति का बयान अंकित नहीं किया गया है। जिसने इन अभियुक्तगण की हिरोहबन्दी गतिविधियों के बारे में बताया हो। यह कहना गलत है कि अभियुक्तगण का कोई गिरोह न हो। यह कहना भी गलत है कि मैंने विभागी पक्षपात करते हुए, एक पुलिस अधिकारी द्वारा लिखाई गई एफ०आई०आर० का समर्थन करते हुए, गलत आरोप पत्र भेज दिया हो।

23– अभियुक्तगण लल्ला सिंह उर्फ अरविन्द सिंह, हुकुम सिंह, अमर सिंह, वीर सिंह के बयान अन्तर्गत धारा–313 दं0प्र0सं0 अंकित किये गये। अभियुक्तगण द्वारा धारा 313 दं0प्र0सं0 के बयान में यह कथन किया गया है कि उन पर लगाये गये आरोप गलत हैं। गलत व झूंठे साक्ष्य दिये गये हैं तथा गलत प्रपत्र तैयार कर झूठा व रिंजिशन फंसाया गया है एवं गलत विवेचना कर सरसरी तौर पर आरोप पत्र प्रेषित किया जाना कहा है। लल्ला सिंह द्वारा कहा गया कि उसके पुराने मकान में पुलिस चौकी है। जब जब भई काली करन के लिये कहा जाता है तब पुलिस विरोधियों से मिलकर झूठे मुकदमे में फंसा देती है तथा मकान नहीं खाली करती है। इसके साथ ही अभियुक्त अमर सिंह द्वारा यह कहा गया कि वह भारतीय सेना में सुबेदार से रिटायर्ड है तथा राष्ट्रपति व राज्यपाल से पुरस्कृत है तथा पचखुरा गांव का रहने वाला है तथा गांवदारी के कारण झूठा फंसा दिया है तथा उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। साथ ही अभियुक्तगण द्वारा अपने आप को निर्दोष होना बताया है।

24– मेरे द्वारा विद्वान विशेष लोक अभियोजक तथा अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों की बहस को विस्तार से सुना गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं अभिलेखीय साक्ष्य का सम्यक अवलोकन व परिशीलन किया।

विश्लेषण

25– इस प्रकार **प्रस्तुत प्रकरण में न्यायालय को यह देखना है कि अभियुक्तगण पर धारा–2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986, का अपराध अभियोजन पक्ष साबित करने में सफल होता है अथवा नहीं।**

26– मुख्य रूप से अभियोजन को यह साबित करना है कि अभियुक्तगण द्वारा लोक व्यवस्था को अशान्त करने हेतु कार्य किये गये हैं तथा इसके साथ ही अभियुक्तगण द्वारा स्वयं के या किसी अन्य व्यक्ति के लिए अनुचित, लौकिक, आर्थिक, भौतिक या धन सम्बन्धी या अन्य लाभ प्राप्त करने के प्रयोजन से एकल रूप से या सामूहिक रूप से हिंसा करके या उसके धमकी या प्रदर्शन, अभित्रास, या प्रपीड़न द्वारा या अन्य प्रकार से कार्य किया गया है। इसे साबित करने के लिए अभियोजन पर है।

27– अभियोजन द्वारा सर्वप्रथम साक्षी पी0डब्लू0–01 निरीक्षक संजय कुमार सिंह हैं को परीक्षित कराया गया है। यह साक्षी प्रस्तुत गैंगस्टर एक्ट के मुकदमें का वादी है। इस कारण इस साक्षी का साक्ष्य अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इस साक्षी द्वारा अभियुक्तगण के विरुद्ध गैंगचार्ट एवं चिक एफ०आई०आर० को क्रमशः प्रदर्श क–1 एवं प्रदर्श क–2 के रूप में न्यायालय में साबित किया है। इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किये हैं कि जब मैं ग्राम पत्योरा से पचखुरा आया। ग्राम पचखुरा के लोगों ने बताया कि लल्ला सिंह उर्फ अरविन्द सिंह, वीर सिंह, अमर सिंह व

हुकुम सिंह का एक संगठित गिरोह है। इस गैंग का लीडर लल्ला सिंह उर्फ अरविन्द सिंह है। गैंगलीडर अपने सदस्यों के साथ आर्थिक एवं भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए हत्या, अपहरण आदि जैसी आपराधिक घठनाएं सामूहिक रूप से व अलग–अलग करते हैं। इस गैंग का जनता में भय व आतंक व्याप्त है। इस गैंग लीडर व सदस्यों के खिलाफ कई मुकदमे पंजीकृत हैं। मु०अ०सं०–302/1992 धारा 25 आयुध अधि०, मु०अ०सं०–164/1993 धारा 147,148, 149,307,302 भा०दं०सं०, मु०अ०सं०–454/1993 धारा 18/20 एन०डी०पी०एस० एक्ट, मु०अ०सं०–110/1998 धारा 307 भा०दं०सं०, मु0अ0सं0–151/2001 धारा 364 भा०दं०सं०, मु०अ०सं०–195/2001 धारा 3 यू०पी० गुण्डा एक्ट, मु०अ०सं०–301/2004 धारा–307 भा०दं०सं०, मु०अ०सं०–302/2004 धारा 25 आयुध अधिनियम, मु०अ०सं०–1264/2007 धारा 18/22 एन०डी०पी०एस० एक्ट, मु०अ०सं०–1486/2008 धारा 18/22 एन०डी०पी०एस० एक्ट, जिसमें अभियुक्त वीर सिंह को सजा हो गई है। मु0अ0सं0–632/2006 धारा–60 वि०प० अधिनियम, मु०अ०सं०–881/2006 धारा 18/20 एन०डी०पी०एस० एक्ट, जिसमें अभियुक्त वीर सिंह को सजा हो गई है। मु०अ०सं०–1304/2009 धारा 3 यू०पी० गुण्डा अधिनियम, जिसमें अभियुक्त वीर सिंह को जिला बदर किया गया। मु0अ0सं0–1445/2010 धारा 8/22 एन०डी०पी०एस० एक्ट, मु0अ0सं0–1446/2010 धारा 25 आयुध अधिनियम, मु0अ0सं0–1351/2011 धारा–8/22 एन०डी०पी०एस० एक्ट, मु०अ०सं०–1352/2011 धारा 25 आयुध अधिनियम, मु0अ0सं0–1400/2011 धारा–307,333,353/34, भा०दं०सं० व 3,2(5) एस०सी०/एस०टी० एक्ट, मु0अ0सं0–82/1998 धारा–25 आयुध अधिनियम, मु०अ०सं० 33/2001 धारा–302/34 भा०दं०सं० जिसमें अभियुक्त लल्ला उर्फ अरविन्द सिंह को सजा हो चुकी है। मु०अ०सं० 1759/2008 धारा–363,366,376 भा०दं०सं०, मु०अ०सं० 659/09 धारा–3 यू०पी० गुण्डा एक्ट, जिसमें अभियुक्त लल्ला सिंह उर्फ अरविन्द सिंह को जिला बदर किया जा चुका है। मु०अ०सं० 1547/09 धारा० 8/22 एन०डी०पी०एस० एक्ट, मु०अ०सं० 1548/09 धारा–25 आयुध अधिनियम, मु०अ०सं० 820/10 धारा–307 भा०दं०सं०, मु०अ०सं० 1402/11 धारा–25 आयुध अधिनियम, मु०अ०सं० 1404/ 11 धारा–30 ए एक्ट, मु०अ०सं० 1405/11 धारा–25 आयुध नियम पंजीकृत हैं। इस गिरोह द्वारा भा०दं०वि० के अध्याय 16,17 व 22 के अन्तर्गत आने वाले अपराधों को कारित करके आम जनता में भय एवं आतंक व्याप्त किये हैं। इनके विरुद्ध कोई भी व्यक्ति शिकायत व गवाही देने को तैयार नहीं होता है। समाज विरोधी क्रिया कलाप में लिप्त रहकर आम जनमानस में आतंक व्याप्त किये हैं। इनकी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए मेरे द्वारा इनके विरुद्ध पंजीकृत अपराधों के आधार पर दिनांक 29.10.2011 को गैंग चार्ट तैयार करके क्रमशः उच्चाधिकारियों से अग्रसारित करने के पश्चात जिला मजिस्ट्रेट, हमीरपुर द्वारा अनुमोदन के पश्चात मुझ थानाध्यक्ष द्वारा उक्त गैंग के विरुद्ध दिनांक 10.11.2011 को समय 22 बजे वापसी में मु०अ०सं० 1440/11 धारा–2/3 गैंगस्टर एक्ट 1986 बनाम गैंगलीडर लल्ला सिंह उर्फ अरविन्द सिंह आदि के विरुद्ध सूचना जुबानी के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कराया था। बचाव पक्ष द्वारा उक्त साक्षी से विस्तार पूर्वक जिरह की गयी है। जिरह में उक्त साक्षी ने मुख्य रूप से यह कथन किया है कि ग्राम पत्योरा के किन व्यक्तियों ने यह बताया था कि इनका एक गिरोह है, उनके नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं हैं और न ही उन व्यक्तियों के नाम जब विवेचक ने मेरे बयान लिए उनको ही बताये। ये बताने वाले लोग ग्राम पत्योरा के न हो करके ग्राम पचखुरा के थे। यह कहना सही है कि थाने पर अपराधियों के अपराध का रजिस्टर होता है, जिसमें अपराध अंकित किये जाते हैं। मुकदमों का निर्णय होने के पश्चात उसका परिणाम भी अंकित किया जाता है। मैंने गैंगचार्ट तैयार करते समय उन अपराधों का थाने पर मौजूद अभिलेख से अवलोकन कर लिया था। अभियुक्त अमर सिंह के खिलाफ गैंगचार्ट में केवल दो

अपराध अंकित हैं, जिनका अ०सं० क्रमशः 1400/11 व 1402/11 धारा–25 आर्म्स एक्ट है। 1400/11 धारा–307 ताहिन्द का मुकदमा अमर सिंह के विरुद्ध लिखाया गया था। यह सही है कि अमर सिंह सेना से रिटायर होने के पश्चात कस्बा सुमेरपुर में स्वयं का मकान बनाकर रहता है। यह कहना गलत है कि अमर सिंह की बुराई वाले लोगों के दवाब व प्रभाव में आकर पचखुरा के लोगों के कहने पर अमर सिंह के खिलाफ गलत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत कराई है और इसी कारण विवेचनाधिकारी ने भी उनके भय न बताये हों। यह भी कहना गलत है कि उक्त कारण से ही पचखुरा के लोगों के नाम अंकित नही किये। यह कहना गलत है कि स्थानीय राजनीतिक दवाब व प्रशासनिक दवाब से अभियुक्त अमर सिंह के विरुद्ध ये एफ०आई०आर० पंजीकृत कराई हो। **डर व भय के कारण मुझ मुकदमा वादी को किसी ने अपना स्पष्ट नाम व पता नहीं बताया।** यह कहना गलत है कि अपनी दिखाई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट को साबित करने के लिए मैं झूठा बयान दे रहा हूँ। यह कहना गलत है कि मैं झूठा बयान दे रहा हूँ। मैं दिनांक 10.11.2011 को मु०अ०सं० 1440/11 के पंजीकृत होने के समय एस०ओ० के पद पर कार्यरत था। मैंने इस मुकदमे की सूचना जुबानी अपने अधीनस्थ थाने में तैनात कां०मु० रामबाबू को बोलकर पंजीकृत कराई थी। मैंने इस घटना/अभियोग के पंजीकृत होने के पूर्व दिनांक 29.10.2011 को इस मुकदमा का गैंगचार्ट तैयार कर लिया था। मेरे द्वारा गैंगचार्ट तैयार करने के बाद व जिला मजिस्ट्रेट के अनुमोदन के बीच जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष गैंगचार्ट के अभियुक्तगण द्वारा आर्थिक भौतिक लाभ अर्जित करने के संबंध में अपराधों के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेखीय साक्ष्य गैंगचार्ट के अलावा प्रस्तुत नहीं किया था। **अपराधों की प्रकृति के आधार पर यह मैंने सुनिश्चित किया कि इनके द्वारा आर्थिक व भौतिक लाभ लेने के लिये यह अपराध कारित किया जा रहा है।** यह सही है कि मु०अ०सं० 1400/11 धारा–307 भा०दं०सं० का वादी मुकदमा एक पुलिस कांस्टेबल है। यह भी सही है कि अ०सं० 1404/11 धारा–30 ए एक्ट का वादी मुकदमा भी एक पुलिस वाला ही है, यह कहना गलत है कि गैंगस्टर अधि० का व उसमें प्राविधानित विधि में अनदेखी करते हुए मेरे द्वारा यह गैंग चार्ट तैयार किया गया। यह कहना भी गलत है कि अभियुक्त हुकुम सिंह को मेरे द्वारा जानबूझकर उक्त प्रकरण में झूठा अभियुक्त बनाया गया। यह कहना भी गलत है कि मैं हुकुम सिंह को इस गैंगचार्ट से पूर्व जानता पहचानता नहीं था। लोगों के कहने पर बुराई–भलाई के आधार पर उसका नाम इस प्रकरण में झूठा अंकित कर उसके विरुद्ध झूठा व गलत गैंगचार्ट प्रस्तुत किया। उक्त साक्षी के बयान से यह निष्कर्ष है कि अभियुक्तगण द्वारा संगठित होकर, गैंग बनाकर अपने अनुचित आर्थिक व भौतिक लाभ प्राप्त करना तथा जनता में भय व दहशत का माहौल बनाकर आर्थिक व भौतिक लाभ प्राप्त करना प्रकट होता है। इस साक्षी ने अभियुक्तगण द्वारा सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर गिरोह को संचालित करने तथा भौतिक व आर्थिक लाभ अर्जित करने का कथन प्रस्तुत किया है। इस साक्षी को अभियुक्तगण के बारे में जानकारी हुई कि अभियुक्तगण जघन्य अपराध कारित करते हैं, जिसके बाद इस साक्षी ने अभियुक्तगण के बारे में दर्ज हुए मुकदमों की जानकारी की तथा उसे अभियुक्तगण पर गम्भीर धाराओं में अन्य पंजीकृत मुकदमें भी मिले। जिसे जिलाधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया। इससे यह तथ्य पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाता है कि अभियुक्तगण द्वारा सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर लोक व्यवस्था को अशान्त करने के उद्देश्य से ही आपराधिक कृत्य किये गये, जिसके आधार पर उनके विरूद्ध मुकदमें पंजीकृत किये गये। बचाव पक्ष द्वारा की गयी जिरह में ऐसा कोई तथ्य दर्शित नहीं हुआ है, जिससे यह माना जा सके कि अभियुक्तगण द्वारा कोई अवैधानिक कार्य नहीं किया गया।

28– अभियोजन द्वारा पी0 डब्लू0–02 रि० उपनिरीक्षक करन सिंह को परीक्षित कराया गया है। उक्त साक्षी ने मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि दिनांक 29.11.2008 को थाना सुमेरपुर में कां० मोहर्रिर के पद पर तैनात था। वादी श्रीराम कुमार सिंह पुत्र राजाराम सिंह निवासी ग्राम पत्योरा थाना सुमेरपुर द्वारा दाखिल तहरीर के आधार पर मु०अ०सं० 1759/2008 धारा–

363,366 भा०दं०सं० बनाम लल्ला सिंह उर्फ अर्जुन सिंह पुत्र बलवान सिंह आदि चार नफर के विरुद्ध एफ०आई०आर० चिक सं० 298/08 किता दाखिल की गई। पत्रावली में संलग्न कागज सं० 16 क मेरे लेख व हस्ताक्षर, जिसमें मैं तस्दीक करता हूं कि फोटो कापी सिंलग्न है। जिसमें प्रदर्श क–3 डाला गया। दिनांक 29.09.2009 एस०आई० विजय सिंह द्वारा दाखिल फर्द बरामगी के आधार पर मु०अ०सं० 1547/09 धारा–8/22 एन०डी०पी०एस० एक्ट बनाम लल्ला सिंह आदि उर्फ अरविन्द सिंह के विरुद्ध एफ०आई०आर० चिक मेरे द्वारा किता की गई। पत्रावली में संलग्न कागज सं० 14 क/1 चिक एफ०आई०आर० की फोटो कापी संलग्न है, जिसको मैं तस्दीक करता हूँ, प्रदर्श क–3 जिसमें डाला गया। दिनांक 19.07.2010 एस०आई० श्री वासुदेव यादव द्वारा दाखिला फर्द बरामदगी के आधार पर मु०अ०सं० 1446/2010 धारा–25 आयुध अधिनियम बनाम वीर सिंह के विरुद्ध मुकदमा चिक एफ०आई०आर० र्ज की। पत्रावली में संलग्न कागज सं० 12 क/10 जिसमें मेरे लेख व हस्ताक्षर हैं। जिसको मैं तस्दीक करता हूं। जिसमें प्रदर्श क 4 क/2 डाला गया है। उक्त साक्षी से बचाव पक्ष द्वारा जिरह की गई, जिरह में साक्षी ने कथन किये हैं कि मु०अ०सं० 1759/2008 की जो फोटो प्रति प्रथम सूचना रिपोर्ट की जो मैंने शामिल की है, इस मुकदमे में लल्ला उर्फ अरविन्द सिंह पुत्र बलवान सिंह उसकी बहन रीतू सिंह पुत्री बलवान सिंह, कु० प्रिया पुत्री लल्ला सिंह की भांजी व सुनील कुमार उर्फ रेनू पुत्र रघुनन्दन प्रसाद को अभियुक्त बनाया गया है।इस मुकदमे की घटना 18.11.2008 और इसकी सूचना 11 दिन बाद 29.11.2008 को पंजीकृत कराई गई। यह कहना गलत है कि थाने की पुलिस पत्योरा चौकी अवैध बालू खनन करती है। गांव वालों के द्वारा विरोध किये जाने पर फर्जी मुकदमे पंजीकृत कराये जाते हैं, जिसे ग्राम पत्योरा के लोगों के दवाब व प्रभाव में लेने के लिए झूठे मुकदमे पंजीकृत किये जाते हों। यह कहना गलत है कि सबूत बक्ष को फंसाने के लिये मैंने झूठा बयान दिया है तथा लल्ला उर्फ अर्जुन सिंह के विरुद्ध फर्जी मुकदमे पंजीकृत किये गए हों। उक्त साक्षी के बयान से यह निष्कर्ष है कि अभियुक्तगण द्वारा विभिन्न अपराधों को कारित किया गया है, जिसके उपरान्त उनके विरुद्ध मुकदमे पंजीकृत हुए। इससे भा०दं०सं० के अध्याय 16,17 व 22 के तहत अभियुक्तगण की अपराध में संलिप्तता से इन्कार नहीं किया जा सकता, जो गैंगस्टर एक्ट की परिधि में है।

29– पी0 डब्लू0–03 निरीक्षक शिवप्रसाद हैं, जिनके द्वारा मु०अ०सं० 1759/ 2008 धारा–363,366 भा०दं०सं० की विवेचना की गई है। इस साक्षी ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 29.11.2008 को श्री रामकुमार सिंह निवासी पत्योरा थाना सुमेरपुर द्वारा मु०अ०सं० 1759/2008 धारा–363,366 भा०दं०सं० का मुकदमा अरविन्द सिंह पुत्र लल्ला सिंह आदि चार व्यक्तियों के विरुद्ध पंजीकृत कराया था। थाना प्रभारी द्वारा विवेचना मुझे सुपुर्द की गई थी। विवेचना से आरोप सुनील कुमार उर्फ रेनू, कुमारी रितु सिंह व कुमारी प्रया सिंह के विरुद्ध घटना कारित किये जाने की साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए थे, जिससे उन लोगों के नामजदगी गलती की गई थी। अपहर्ता कुमारी रूपा सिंह की बरामदगी की गई थी। अपहर्ता के कथन व मोडिकल रिपोर्ट आदि के आधार पर अभियोग में धारा–376 भा०दं०वि० की वृद्धि की गई और अभियुक्त अरविन्द सिंह उर्फ लल्ला सिंह के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर गिरफ्तारी करने के उपरान्त धारा–363,366,376 भा०दं०सं० में अरविन्द सिंह के विरुद्ध आरोप पत्र सं० 385/08 दिनांक 22.12.2008 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया। पत्रावली में संलग्न कागज सं० 17 क साक्षी ने देखकर कहा कि यह मूल आरोप पत्र की छाया प्रति है, जो मेरे द्वारा माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया है। जिसमें प्रदर्श क–5 डाला गया है। जिसको मैं तस्दीक करता हूँ। जिस फोटो कापी में मेरे हस्ताक्षर हैं, जिसे में प्रमाणित करता हूँ। दिनांक 29.09.2009 को उपनिरीक्षक श्री विजय सिंह थाना सुमेरपुर द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 1547/09 धारा–8/22 एन०डी०पी०एस० एक्ट व मु०अ०सं० 1548/ 2009 धारा–25 शस्त्र अधिनियम विरुद्ध अरविन्द सिंह उर्फ लल्ला सिंह पंजीकृत कराये गए थे। उक्त दोनों अभियोग की विवेचना मुझे सुपुर्द

की गई थी। मैंने बाद विवेचना अ०सं० 1547/09 में आरोप पत्र सं० 307/09 दिनांक 11.10.2009 व मु०अ०सं० 1548/09 धारा–25 शस्त्र अधिनियम में आरोप पत्र सं० 300/09 दिनांक 30.09.2009 को प्रेषित किया गया। उक्त साक्षी से बचाव पक्ष द्वारा जिरह की गई। जिरह में साक्षी ने कथन किया कि मु०अ०सं० 1547/ 2009 धारा–8/22 एन०डी०पी०एस० एक्ट व 1548/2009 धारा–25 शस्त्र अधिनियम के मुकदमों में इसके पूर्व बयान न्यायालय में हुए कि नहीं मुझे याद नहीं। ग्राम पत्योरा की सरकारी पुलिस चौकी है, वो अरविन्द सिंह उर्फ लल्ला की जमीन पर है या नहीं, मुझे जानकारी नहीं है। मैं पत्योरा चौकी गया हूँ। वहां बनी पुरानी बिल्डिंग में ही पुलिस चौकी है। ये कहना गलत है कि सबूत पक्ष को बल देने के लिए सही बयान नहीं किया और झूठे आरोप पत्रों व फोटो कापी को गलत साबित किया। इस प्रकार अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्षी पी0 डब्लू0–03 द्वारा अभियोजन कथानक की पुष्टि होती है। इस साक्षी के साक्ष्य से अभियुक्तगण की निर्दोषिता साबित नहीं होती है। इससे यह तथ्य पूर्ण रूप से साबित होता है कि अभियुक्तगणों द्वारा सामूहिक रूप से हिंसा का प्रयोग कर, लोक व्यवस्था को अशान्त करने का कार्य किया गया है।

30– अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी पी0 डब्लू0–04 रामकुमार सिंह पुत्र राजाराम सिंह को परीक्षित कराया गया है उक्त साक्षी प्रस्तुत प्रकरण में एक स्वतन्त्र साक्षी के रूप में है, उसकी पुत्री के साथ घटना घटित हुई थी। इस साक्षी ने अपने साक्ष्य में मुख्य रूप से इस तथ्य को प्रस्तुत किया है कि दिनांक 18.11.2008 को मेरी पुत्री कु० रूपा इटरा का मेला हनुमान मंदिर के पास दखने गई थी। वहीं पर मेरी पुत्री को रूती सिंह पुत्री बलवान सिंह, अरविन्द सिंह पुत्र बलवान सिंह व प्रिया जो अरविन्द सिंह की भांजी है, जो बजेटा की रहने वाली है। यह तीनों लोग मेरी पुत्री से मिले व हाथ पकड़कर बहला फुसलाकर भगा ले गए, जिसकी मैंने लिखित तहरीर दिनांक 29.11.2008 को थाना सुमेरपुर में दी। जिसमें मु०अ०सं० 1759/2008 की धारा–363,366 भा०दं०सं० पंजीकृत हुआ। उस समय मेरी बेटी नाबालिग थी। इस मुकदमे की विवेचना एस०आई० शिवप्रसाद द्वारा की गई थी, जिसमें आरोप पत्र प्रेषित हुआ और अरविन्द उर्फ लल्ला का चालान हुआ, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई। इस स्वतन्त्र साक्षी से बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जिरह की गयी। जिरह में इस साक्षी ने मुख्य रूप से यह कथन किया है कि मैनें वर्ष 2008 में प्रथम सूचना रिपोर्ट लल्ला सिंह, रीतू सिंह व प्रिया सिंह के खिलाफ लिखाई थी। यह रिपोर्ट मैनें दिनांक 18.11.2008 में लिखाई थी। पुलिस ने इसमें विवेचना की थी। मेरा बयान हमीरपुर की न्यायालय में हुआ था। जब मेरा बयान न्यायालय में जिला जजी हमीरपुर में हुआ था तब उक्त रीतू सिंह व प्रिया सिंह अदालत में नहीं थी। उस मुकदमें के केवल लल्ला सिंह को सजा हुई थी। अरविन्द सिंह उर्फ लल्ला मेरे गांव पत्योरा के रहने वाले हैं। जब यह घटना की मैनें रिपोर्ट की थी तब बलवान सिंह जिन्दा थे। बलवान सिहं मेरे गांव के है, ठाकुर हैं, इनके रिहायशी मकान से मेरा मकान लगभग 150 मीटर दूर है। यह कहना गलत है कि गांवदारी की रंजिश व अरविन्द से विरोध होने के कारण मैं आज अदालत में झूठा बयान दे रहा हूँ। उक्त साक्षी ने अभियुक्त लल्ला सिंह उर्फ अरविन्द द्वारा उसकी पुत्री के अपहरण करने जैसी घटना की स्वीकारोक्ति की है। अभियुक्त अरविन्द उर्फ लल्ला सिंह प्रस्तुत प्रकरण का गैंगलीडर है। इस प्रकार अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्षी पी0 डब्लू0–04 द्वारा तथ्य को स्पष्ट किया है कि अभियुक्तगण द्वारा लोक व्यवस्था को अशान्त करने के उद्देश्य से कार्य किये गये तथा एकल रूप से व सामूहिक रूप से हिंसा करके अभित्रास व प्रपीड़न का कार्य किया गया है। उक्त साक्षी एक स्वतन्त्र साक्षी है। यहॉ यह तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि अभियुक्त लल्ला सिंह उक्त मुकदमें में दोषसिद्ध किया गया है। इस प्रकार न्यायालय का निष्कर्ष है कि अभियुक्तगण अपराध करने में संलिप्त रहते हैं। इस साक्षी के साक्ष्य से अभियोजन कथानक की पुष्टि होती है तथा अभियुक्तगण की निर्दोषिता साबित नहीं होती है।

31– पी0 डब्लू0–05 रि० निरीक्षक मोहम्मद शरीफ हैं, जिनके द्वारा प्रस्तुत मुकदमे की विवेचना की गई है तथा पर्चों को किता किया गया है तथा दौरान विवेचना अपना स्थानान्तरण होना बताया है। उक्त साक्षी ने मुख्य परीक्षा में मुख्य रूप से यह कथन किया है कि पर्चा नं० 15 दिनांक 24.05.2012 को किता किया गया जिसमें अभियुक्त वीर सिंह की गिरफ्तारी के लिये दबिश दी गयी, अभियुक्त लल्ला सिंह का रिमाण्ड हेतु माननीय न्यायालय में 60 दिवसीय रिमाण्ड की याचना की गयी। पर्चा नं० 16 दिनांक 26.05.2012 को किता किया गया जिसमें बयान गवाह एस०आई० वासुदेव सिंह मु०अ०सं० 1445/2010 धारा–8/22 एन०डी०पी०एस० एक्ट का बयान अंकित किया गया। इसके अतिरिक्त दिनांक 29.11.2008 को रामकुमार सिंह पत्योरा तहरीरी मु०अ०सं० 1759/2008 धारा–363, 366 भा०दं०सं० बनाम लल्ला सिंह उर्फ अरविन्द आदि निवासीगण पत्योरा थाना सुमेरपुर के एस०आई० शिवप्रसाद सिंह नकल चिक बनाकर विवेचना का जिक्र किया गया। उसी दिन मु०अ०सं० 1759/2008 वादी मुकदमा रामकुमार सिंह पुत्र राजाराम सिंह निवासी ग्राम पत्योरा थाना सुमेरपुर का बयान अंकित किया गया। उसने बताया कि मेरी बेटी 18.11.2008 को रूपा इटरा हनुमान का मेला देखने गयी थी, वहीं से रीतू सिंह पुत्र बलवान सिंह, अरविन्द सिंह बहला फुसलाकर ले गये थे। दिनांक 29.11.2008 को मु०अ०सं० 1759/2008 धारा–363, 366 भा०दं०सं० की विवेचना मुझ एस०आई० को प्राप्त हुई। साक्ष्य संकलन व मेडिकल के आधार पर 376 भा०दं०सं की बढ़ौतरी की थी, जिसमें अभियुक्त लल्ला सिंह उर्फ अरविन्द के विरुद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय दिनांक 22.12.2008 को प्रेषित किया। इसके अतिरिक्त दिनांक 29.09.2009 को थाना सुमेरपुर में पंजीकृत मु०अ०सं० 1447/2009 धारा–8/22 एन०डी०पी०एस० एक्ट अ०सं० 1548/2009 धारा–25 आयुध अधिनियम बनाम लल्ला सिंह उर्फ अरविन्द सिंह के विरुद्ध आरोप पत्र दिनांक 30.09.2009 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया। दिनांक 29.09.2009 को मय हमराही कर्मचारी के गश्त में मामूर था। अभियुक्त लल्ला सिंह उर्फ अरविन्द निवासी पत्योरा 120 एक देशी तमंचा 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। तत्पश्चात वांछित अभियुक्त वीर सिंह की तलाश हेतु ग्राम पत्योरा व कस्बा सुमेरपुर में दबिश दी गयी मुखबिर से पता किया गया तो ज्ञात हुआ कि अभियुक्त वीर सिंह अपनी चल अचल संपत्ति हटा रहा है। जुर्म से बचने के लिये फरार होना चाहता है। न्यायालय में उपस्थित नहीं होना चाहता है। अभियुक्त वीर सिंह की एन०बी०डब्लू०, 82 दं०प्र०सं० की रिपोर्ट तैयार की गयी और अभियुक्त लल्ला सिंह उर्फ अरविन्द का माननीय न्यायालय से 60 दिवसीय रिमाण्ड का अनुरोध किया गया। पर्चा नं० 21 दिनांक 14.06.2012 को किता किया जिसमें मैंने अभियुक्त वीर सिंह की गिरफ्तारी किये जाने व चल अचल संपत्ति हटाये जाने का विवरण अंकित किया। पर्चा नं० 22 दिनांक 18.06.2012 को किता किया जिसमें माननीय न्यायालय से अभियुक्त द्वारा चल अचल संपत्ति हटाकर बाहर जाने का विवरण अंकित कर एन०बी०डब्लू० प्राप्त किया था व 82, 83 दं०प्र०सं० प्राप्त करने हेतु रिपोर्ट प्रेषित की थी। दिनांक 19.06.2012 पर्चा नं० 23 किता किया था, जिसमें 82 दं०प्र०सं० प्राप्त होने का हवाला अंकित केस डायरी किया था। दिनांक 20.06.2012 को पर्चा नं० 24 किता किया था, जिसमें अभियुक्त के दरवाजे पर 82 दं०प्र०सं० की नोटिस चश्पा किये जाने का विवरण अंकित केस डायरी किया था। दिनांक 18.07.2012 को पर्चा नं० 25 किता किया था, जिसमे बयान वादी ए०आई० शिवप्रसाद व लेखक एफ०आई०आर० का बयान अंकित केस डायरी किया था। दिनांकि 23.07.2012 को बयान गवाह एस०आई० राम जियावन पाल का बयान अंकित केस डायरी किया था। उक्त साक्षी से बचाव पक्ष द्वारा जिरह की गई। जिरह में साक्षी ने कथन किया कि इस गैंगचार्ट में मु०अ०सं०–1400/2011 धारा–307, 333, 353/34, 3(2)5 Sc/St Act में कुल चार अभियुक्त लल्ला सिंह, वीर सिंह, अमर सिंह व हुकुम सिंह मुल्जिम है। मैंने जो भी बयान लिखे है, उनमें उन पुलिस अधिकारियों के है जिनमें अभियुक्तगण के विरुद्ध की गयी कार्यवाहियों का उल्लेख है।यह कहना

गलत है कि मैंने विभागीय पक्षपात करते हुये अभियुक्तगण को गैंगस्टर दर्शाने की नियत से गलत साक्ष्य अंकित किये हो। मु०अ०सं०–1547/2009 धारा 08/20 ndps Act की विवेचना मैंने नहीं की थी। इसी प्रकार मु०–1548/2009 धारा 25 आर्म्स एक्ट की विवेचना मैंने नहीं की थी। मैंने मुकदमे की पूरी विवेचना नहीं की है जिस कारण मैं नहीं बता सकता कि इनका कोई गिरोह है या नहीं है। यह कहना गलत है कि लल्ला सिंह व अमर सिंह के विरुद्ध सही विवेचना न की गयी हो तथा प्रशासनिक व शासनिक दबाव में कार्यगुजारी दिखाने के लिए झूठा गैंगस्टर का मुकदमा लगाया गया हो और उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में दिये गये प्राविधानों को दरकिनार कर जबरदस्ती विधि विरुद्ध कार्यवाही की हो। इस साक्षी ने अपनी विवेचना के दौरान अभियुक्तगण द्वारा कारित किये गये अपराधों को अपने साक्ष्य के माध्यम से दर्शित किया है। इससे यह तथ्य पूर्ण रूप से स्पष्ट है कि अभियुक्तगण द्वारा संगठित होकर जनता में भय उत्पन्न करने के उद्देश्य से गम्भीर अपराधों को कारित किया है। इस साक्षी के बयानों से स्पष्ट होता है कि अभियुक्तगण का गैंग है और वे लोगों में भय व आतंक पैदा करते हैं।

32– पी0 डब्लू0–06 पुलिस उपायुक्त दिनेश त्रिपाठी हैं, जिनके द्वारा मु०अ०सं० 1400/2011 बनाम अभियुक्तगण अमर सिंह, हुकुम सिंह, अरविन्द सिंह उर्फ लल्ला एवं वीर सिंह धारा–307,333,353,34 भा०दं०सं० व 3(2)(5) एस०सी०/ एस०टी० एक्ट की विवेचना की गई है तथा उक्त प्रकरण से संबंधित आरोप पत्र के प्रेषित किया गया है। उक्त साक्षी ने अपने बयानों में मुख्य रूप से यह कहा है कि पत्रावली में संलग्न कागज सं० 19 क/3 साक्षी ने देखकर कहा यह वही मूल आरोप पत्र की फोटोप्रति है जो मेरे हस्तलेख में है जिस पर मेरे हस्ताक्षर हैं, जिसे न्यायालय प्रेषित किया गया है। संलग्न पत्रावली है। जब यह मुकदमा कायम हुआ था तब थाना सुमेरपुर में श्री संजय कुमार सिंह थानाध्यक्ष थे। जिसे चॉट आई थी, वह पत्योरा चौकी में ही जो थाना सुमेरपुर की पुलिस चौकी है में ही आरक्षी के पद पर नियुक्त था। मु०अ०सं० 1400/2011 में क्या परिणाम हुआ मेरी जानकारी में नहीं है। **पुलिस वालों के ऊपर अपराधियों ने गोली मारी थी।** जब मैं हमीरपुर में क्षेत्राधिकारी पद पर तैनात था और मेरे द्वारा इस प्रकरण (SC/ST Act) की विवेचना की गई थी। उक्त साक्षी ने अपने साक्ष्य में अभियुक्तगण द्वारा गंभीर धाराओं में अपराध कारित करने का साक्ष्य दिया है। इस प्रकार इस साक्षी के साक्ष्य से निष्कर्ष है कि अभियुक्तगम का उक्त अपराध गैंगस्टर एक्ट की परिधि के अन्तर्गत है। अपनी विवेचना में इस साक्षी ने अभियुक्तगण अरविन्द सिंह उर्फ लल्ला आदि 04 नफर के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था। जिरह में इस साक्षी ने अभियुक्तगण द्वारा घटना कारित करने की पुष्टि की है। इस साक्षी के साक्ष्य से अभियुक्तगण का अवैध गतिविधियों में संलिप्त होना प्रकट होता है।

33– पी0 डब्लू0–07 निरीक्षक राकेश कुमार सरोज हैं, जिनके द्वारा भी प्रस्तुत मुकदमे की विवेचना पुलिस अधीक्षक, हमीरपुर के आदेश से ग्रहण की गई है तथा दौरान विवेचना पर्चो को किता किया गया है। उक्त साक्षी ने अपने बयानों में मुख्य रूप से यह कथन किया है कि दिनांक 17.11.2011 को पर्चा सं० 1 किता किया गया जिसमें आदेश नकल, एफ०आई०आर० की नकल, गैंग चार्ट की नकल, जी०डी० नकल, एफ०आई०आर० लेखक हेड का० रामबाबू का बयान, मुकदमा उपरोक्त के मुख्य गवाह का० 148 आनंद मोहन का बयान अंकित किया गया। गवाह ने बताया कि मुकदमा उपरोक्त अभियुक्तगण लल्ला सिंह उर्फ अरविन्द, अमर सिंह, हुकुम सिंह जिला कारागार हमीरपुर में बंद चल रहे है, जिनके खिलाफ आप कार्यवाही कर सकते हैं। अभियुक्तगण को मुकदमा उपरोक्त में तलब करने हेतु रिपोर्ट तैयार की गई। दिनांक 18.11.2011 को पर्चा सं० 2 किला किया गया जिसमें माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अभियुक्तगण उपरोक्त को तलब करने हेतु रिपोर्ट प्रेषित की गई। माननीय न्यायालय ने दिनांक 25.11.2011 को तलब करने का आदेश जारी किया। दिनांक 09.01.2012 को पर्चा सं० 7

किता किया गया जिसमें मु०अ०सं० 1402/2011, धारा 25 आर्म्स एक्ट व मु०अ०सं० 1404/2011 धारा 30 आर्म्स एक्ट व मु०अ०सं० 1405/2011 धारा 25 आर्म्स एक्ट के वादी श्री संजय कुमार सिंह तत्कालीन थानाध्यक्ष का बयान अंकित किया गया। दिनांक 19.01.2012 को पर्चा सं० 8 किता किया गया जिसमें मु०अ०सं० 1351/2011 धारा 8/22 एन०डी०पी०एस० एक्ट व मु०अ०सं० 1352/2011 धारा 25 आर्म्स एक्ट के गवाह एस०आई० गौतम कुमार के बयान अंकित किए गए। दिनांक 16.03.2012 को पर्चा सं० 11 किता किया गया जिसमें अभियुक्त वीर सिंह की गिरफ्तारी का प्रयास किया गया। दिनांक 18.05.2012 को पर्चा सं० 13 किता किया गया जिसमें मेरा स्थानांतरण होने के कारण अतिरिक्त कार्यवाही अन्य विवेचक द्वारा लिखे जाने का अंकित किया गया है। उक्त साक्षी से बचाव पक्ष द्वारा की गई जिरह में साक्षी ने मुख्य रूप से यह कथन किये हैं कि **मुकदमा उपरोक्त के गवाहों ने बताया था कि यह लोगो को डराते धमकाते है। इनके भय के कारण कोई मुकदमा नहीं लिखाना चाहता है। गवाह ने कहा कि मुझे अभियुक्त के आर्थिक श्रोत के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इनका गैंग लीडर लल्ला सिंह उर्फ अरविन्द है। बाकी तीन लोग गैंग के सदस्य है।** यह सही है कि उन किसी भी व्यक्ति के नाम व पते मैंने अपनी विवेचना में संकलित नहीं किए है और न ही उनके बयान अंकित किए है क्योंकि आपसी भलाई बुराई के कारण व डर भय के कारण किसी व्यक्ति ने गवाही नहीं दी है और न नाम पते बताए। ऐसा नहीं है कि सबूत पक्ष को बल देने के लिए मैं पचखुरा जाने वाली बात कर रहा हूं। मैं पत्यौरा पुलिस चौकी जा चुका हूं। पुलिस चौकी मैंने दौरान विवेचना गैंग चार्ट का अवलोकन किया था। मैंने वादी संजय कुमार सिंह थानाध्यक्ष सुमेरपुर का बयान दिनांक 24.11.2011 को अंकित किया था जिसमें उक्त साक्षी ने बताया था कि गैंग लीडर अपने सदस्यो के साथ मिलकर आर्थिक व भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए हत्या जैसी आपराधिक घटनाए कारित करते है। मुझे दौरान विवेचना ऐसे व्यक्ति मिले थे, जिन्होंने मुझे बताया था कि मैंने डर के कारण इन अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमे नहीं लिखाए। ऐसा बताने वाले अलग–अलग गांव के थे। किस गांव के थे, मैं नहीं बता सकता। उन लोगों ने अपना नाम नहीं बताया। चूंकि उक्त लोग गवाही नहीं देना चाह रहे थे, इसलिए मैंने यह बताने की कोशिश नहीं की कि वह लोग कौन है और कहां के है। यह कहना गलत है कि मैंने जितनी भी विवेचना की है, वह एफ०आई०आर० का समर्थन करने के लिए मशीनवत की है. जिसमें कोई सच्चाई न हो। उक्त साक्षी के साक्ष्य से निष्कर्ष है कि मुकदमा उपरोक्त के गवाहों ने बताया था कि अभियुक्तगण लोगो को डराते धमकाते है। इनके भय के कारण कोई मुकदमा नहीं लिखाना चाहता है। गवाह ने कहा कि मुझे अभियुक्त के आर्थिक श्रोत के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इनका गैंग लीडर लल्ला सिंह उर्फ अरविन्द है। बाकी तीन लोग गैंग के सदस्य है। इस साक्षी ने अभियुक्तगण द्वारा कारित किये गये अपराधों को दर्शित किया है। इससे यह तथ्य पूर्ण रूप से स्पष्ट किया है कि अभियुक्त द्वारा संगठित होकर अवैध शस्त्रों से सुसज्जित होकर जनता में भय उत्पन्न करने के उद्देश्य से गम्भीर अपराधों को कारित किया है। जिरह में ऐसा कोई भी नवीन तथ्य उत्पन्न नहीं हुआ है, जिससे यह माना जा सके कि अभियुक्तगण एक संगठित गिरोह के सदस्य नहीं है। इस साक्षी के बयान से प्रकट होता है कि **अभियुक्तगण गैंग बनाकर भा०दं०वि० के अध्याय 16,17 व 22 का अपराध कारित करते हैं। इनका क्षेत्र में भय व्याप्त है। इनके खिलाफ कोई व्यक्ति रिपोर्ट लिखाने व गवाही देने को तैयार नहीं है। अभियुक्तगण अपने आर्थिक, भौतिक लाभ के लिये गैंग बनाकर अपराध करते हैं, जो साक्ष्य से निष्कर्ष है।**

34– अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी पी0 डब्लू0–08 गिरेन्द्र कुमार सिंह हैं, जिनके द्वारा पूर्व विवेचक मोहम्मद शरीफ के स्थानान्तरण के उपरान्त प्रस्तुत मु0 अ0 सं0–1440/2011 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोह बन्द समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम 1986 की विवेचना ग्रहण की थी तथा विवेचना ग्रहण करने के बाद सी0 डी0 के विभिन्न पर्चो को किता किया। अभियोजन स्वीकृति प्राप्त कर अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय

में प्रेषित किया था। उक्त आरोप पत्र को इस साक्षी ने साबित किया है। जिस पर प्रदर्श क–9 डाला गया है। इस साक्षी ने अपने साक्ष्य में कहा है कि अभियुक्तगणों के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर आरोप पत्र सं० 124/2012 धारा–2/3 गैंगस्टर एक्ट बनाम लल्ला सिंह उर्फ अरविन्द निवासी पत्योरा थाना सुमेरपुर, 2. अमर सिंह पुत्र राजबहादुर निवासी पचखुरा थाना सुमेरपुर जिला हमीरपुर, 3. हुकुम सिंह पुत्र रामजीवन सिंह निवासी रूरीपारा थाना ललपुरा, 4. अभियुक्त वीर सिंह पुत्र जयबहादुर सिंह निवासी पत्योरा थाना सुमेरपुर जनपद हमीरपुर (मफरूरी) आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया। **अभियुक्तगण गैंग बनाकर अपने आर्थिक भौतिक व अन्य लाभ के लिए अपराध कारित करते हैं, जिससे समाज में भय व्याप्त है। जनता का कोई व्यक्ति इनके खिलाफ रिपोर्ट लिखाने व गवाही देने के लिए तैयार नहीं होता है।** इस साक्षी से विद्वान बचाव पक्ष द्वारा जिरह की गई। साक्षी ने अपनी जिरह में मुख्य रूप से यह कथन किये हैं कि मैंने दौरान विवेचना इस मामले के गैंगचार्ट का अवलोकन किया था। गैंगचार्ट आज मेरे सामने है। इस गैंगचार्ट के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि गैंगचार्ट में अंकित मामलों में केवल एक मामला 1400/2011 धारा–307, 333, 303, 34 भा०दं०सं० व 3(2), 5 एस०सी०/एस०टी० एक्ट ही जैसा मामला है, जिसमें इस मुकदमें में चारों आरोपित लिये गए हैं। मैंने इस मामले की विवेचना 06.08.2012 को ली थी। इसके पूर्व इसकी विवेचना मोहम्मद शरीफ तथा राकेश सरोज कर रहे थे। यह कहना गलत है कि अभियुक्तगण का कोई गिरोह न हो। यह कहना भी गलत है कि मैंने विभागी पक्षपात करते हुए, एक पुलिस अधिकारी द्वारा लिखाई गई एफ०आई०आर० का समर्थन करते हुए, गलत आरोप पत्र भेज दिया हो। इस साक्षी ने अभियुक्तगण के भय को आरोप पत्र के माध्यम से दर्शित किया है तथा अभियुक्तगण द्वारा कारित किये गये अपराधों को भी दर्शित किया है। इससे यह तथ्य पूर्ण रूप से स्पष्ट है कि अभियुक्तगण द्वारा संगठित होकर अवैध शस्त्रों से लेस होकर जनता में भय उत्पन्न करने के उद्देश्य से गम्भीर अपराधों को कारित किया है। जिरह में ऐसा कोई भी नवीन तथ्य उत्पन्न नहीं हुआ है। जिससे यह माना जा सके कि अभियुक्तगण एक संगठित गिरोह के सदस्य नहीं है।

35– गिरोह के समूह द्वारा लोग व्यवस्था को बिगाड़ने या किसी अनुचित लाभ के लिये कार्य करते हैं। गैंगस्टर एक्ट की मंशा यह है कि समाज को सुरक्षित रखना आवश्यक है। न्यायालय यह पाती है कि पत्रावली पर अभियुक्तगण के विरुद्ध साक्ष्य है कि वे गैंगस्टर एक्ट के तहत अपराध करने के फलस्वरूप आर्थिक, भौतिक व दुनियाबी लाभ व भारतीय दंड संहिता के अध्याय 16, 17 व 22 के अन्तर्गत अपराध किया जाना परिलक्षित होता है तथा प्रश्नगत मामले में उपलब्ध साक्ष्य से अभियुक्तगण का गैंग होना साबित है। बचाव पक्ष द्वारा ऐसा कोई मजबूत साक्ष्य पत्रावली पर नहीं दाखिल किया गया, जिससे अभियुक्तगण निर्दोष साबित होते हों।

36– अभियुक्तगण के बयान अन्तर्गत धारा 313 दं0 प्र 0 सं0 न्यायालय के समक्ष हुए है। जिसमें अभियुक्तगण द्वारा कहा गया कि उन पर लगाये गये आरोप गलत हैं। गलत व झूंठे साक्ष्य दिये गये हैं तथा गलत प्रपत्र तैयार कर झूठा व रंजिशन फंसाया गया है एवं गलत विवेचना कर, सरसरी तौर पर आरोप पत्र प्रेषित किया जाना कहा है। लल्ला सिंह द्वारा कहा गया कि उसके पुराने मकान में पुलिस चौकी है। जब भी खाली करने के लिये कहा जाता है तब पुलिस विरोधियों से मिलकर झूठे मुकदमे में फंसा देती है तथा मकान नहीं खाली करती है। इसके साथ ही अभियुक्त अमर सिंह द्वारा यह कहा गया कि वह भारतीय सेना में सुबेदार से रिटायर्ड है तथा राष्ट्रपति व राज्यपाल से पुरस्कृत है तथा पचखुरा गांव का रहने वाला है तथा गांवदारी के कारण झूठा फंसा दिया है तथा उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। साथ ही अभियुक्तगण द्वारा अपने आप को निर्दोष होना बताया है। जबकि अभियुक्तगण के विरुद्ध जो साक्ष्य दाखिल किये गये हैं, उससे अभियुक्तगण का भय व गैंग में शामिल होना साबित होता है। अभियुक्तगण के विरुद्ध लगाये गये

आरोप अन्तर्गत धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 की मंशा के अनुरूप हैं।

37– उपरोक्त के अतिरिक्त विचारणीय तथ्य यह भी है कि अभियुक्तगण के विरुद्ध अनेकों आपराधिक वाद दर्ज हैं। जबकि गैंगचार्ट के अवलोकन एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से यह भी पता चलता है कि अभियुक्तगण सभी मामलों में सम्मिलित हैं। यद्यपि अभियुक्तगण का दोषमुक्त होना या दोषसिद्ध होना मामले में महत्वपूर्ण तथ्य नहीं है। जबकि अभियोजन की ओर से अपने मामले को गैंगचार्ट तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट, अभियुक्तगण के विरुद्ध पूर्व संस्थित मामले में विवेचना किये जाने एवं आरोप पत्र दाखिल करने वाले पुलिस अधिकारी को साक्षी के रूप में न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। अभियोजन साक्षीगण के साक्ष्य में इस प्रकार का कोई तथ्य सामने नहीं आया है कि अभियुक्तगण की व साक्षीगण की कोई रंजिश रही हो। उ०प्र० गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के तहत गैंग की परिभाषा धारा–2 के तहत दी गयी है, जिसके तहत ऐसे व्यक्तियों के समूह जो लोक व्यवस्था को अस्त–व्यस्त करने या अपने अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई अनुचित, दुनियाबी, आर्थिक, भौतिक या अन्य –––––––की धारा–2 ख(1) लगायत 25 में वर्णित किया गया है। उक्त परिभाषा खण्ड के पठन से स्पष्ट है कि गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही चलाये जाने हेतु अधिनियम में उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 में मुख्यतः दो आधार लिये हैं। प्रथमतः अभियुक्तगण द्वारा लोक व्यवस्था को अस्त व्यस्त करना तथा दूसरा कोई अनुचित, भौतिक, आर्थिक लाभ प्राप्त करना। बचाव पक्ष का यह तर्क कि उनके विरुद्ध इस प्रकार का कोई साक्ष्य नहीं है कि उनके द्वारा अनुचित दुनियाबी, आर्थिक, भौतिक लाभ प्राप्त किया गया है। किसी प्रकार महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि गैंगेस्टर एक्ट में दी गयी धारा–2 की परिभाषा के अनुसार उपरोक्त दोनों में से कोई भी आधार अभियुक्तगण को गैंगेस्टर की परिभाषा के अन्तर्गत हतोत्साहित करने की आवश्यकता है।

38– अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित तथ्य के साक्षीगणों के साक्ष्य में पारस्पिरिक, एकरूपता, सामंजस्य एवं संपुष्टि है। ऐसा कोई भी साक्ष्य पत्रावली पर दाखिल नहीं है, जिसके आधार पर अभियुक्तगण को झूठा फंसाया जाना दर्शित हुआ हो। संदर्भित साक्ष्य के परिशीलन से एकमात्र यह निष्कर्ष निकलता है कि प्रश्नगत अपराध निश्चित रूप से अभियुक्तगण द्वारा ही कारित किया गया है तथा अभियुक्तगण एक संगठित गिरोह के सदस्य हैं और उनके द्वारा उक्त गिरोह के कार्यों के अनुक्रम में ही गम्भीर अपराध को कारित किया गया है, जो लोक व्यवस्था के विरुद्ध अपराध है।

39– इस प्रकार प्रस्तुत मौखिक एवं अभिलेखीय साक्ष्य के प्रकाश में न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है। फलस्वरूप अभियुक्तगण दोषसिद्ध किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

जी0एस0टी0 सं0–10/2012 सरकार बनाम लल्ला सिंह उर्फ अरविन्द आदि मु0अ0सं0–1440/2011, अन्तर्गत धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 थाना सुमेरपुर, जिला हमीरपुर के मामले में, अभियुक्तगण 1–लल्ला सिंह उर्फ अरविन्द, 2–अमर सिंह, 3–हुकुम सिंह को एवं जी0एस0टी0 सं0–10ए/2012 सरकार बनाम वीर सिंह मु0अ0सं0–1440/2011, अन्तर्गत धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 थाना सुमेरपुर, जिला हमीरपुर के मामले में, अभियुक्त वीर सिंह को, आरोपित आरोप अन्तर्गत धारा–2/3

उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 में दोषसिद्ध किया जाता है।

प्रस्तुत मामलों में अभियुक्तगण जमानत पर हैं। उनके जमानतनामे व बन्धनामे निरस्त किये जाते हैं तथा प्रतिभूगण को जमानत के दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है। अभियुक्तगण लल्ला सिंह उर्फ अरविन्द, अमर सिंह, हुकुम सिंह एवं वीर सिंह को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाए। पत्रावली दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु लन्च बाद पेश हो।

दिनांक–24.03.2026

(अनिल कुमार खरवार)
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश(द०प्र०क्षे०)/
गैंगेस्टर न्यायालय, हमीरपुर।

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश(द०प्र०क्षे०)/गैंगेस्टर न्यायालय, हमीरपुर।

जी0 एस 0 टी0 सं0–10/12
एवं
जी0 एस 0 टी0 सं0–10 ए/12
मु0 अ 0 सं0–245/2012
धारा–2/3 उ०प्र० गिरोहबन्द एवं
समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण)
अधिनियम 1986
थाना–सुमेरपुर, जिला हमीरपुर।

24.03.2026

लन्च बाद

पत्रावली दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु पेश हुई। दोषसिद्ध अभियुक्तगण न्यायिक अभिरक्षा में न्यायालय में उपस्थित हैं। सिद्धदोषगण के अधिवक्तागण द्वारा दण्ड के प्रश्न पर यह कहा गया है कि सभी अभियुक्तगण के परिवार में कमाने वाला अन्य कोई सदस्य नहीं है। अतः सिद्धदोष अभियुक्तगण को कम–से–कम दण्ड से दण्डित करने की कृपा करें।

विशेष लोक अभियोजक गैंगेस्टर एक्ट हमीरपुर द्वारा यह कहा गया है कि दोषसिद्धगण के विरूद्ध अपराध साबित हुआ है क्योंकि इनके विरुद्ध गैंगचार्ट में दर्शित शान्ति व्यवस्था भंग करना आदि अपराध कारित किये गये हैं, जो साक्ष्यों से साबित हैं। अभियुक्तगण को अधिकतम कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने की बहस की गई।

आपराधिक विचारण में दण्ड की मात्रा का निर्धारण अत्यंत महत्वपूर्ण स्टेज होता है। दण्ड न तो अधिक होना चाहिये न तो कम होना चाहिए, वरन उसकी मात्रा ऐसी होनी चाहिये, जिससे न्याय की पूर्ति हो और विधि का शासन स्थापित करने में सहयोगी हो। अतः संपूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्तगण को निम्नलिखित दण्ड से दण्डित किया जाना न्याय की मंशा के अनुरूप होगा।

दण्डादेश

जी0 एस 0 टी0 वाद सं0–10/2012 सरकार बनाम लल्ला सिंह उर्फ अरविन्द आदि मु0 अ 0 सं0–1440/2011 अन्तर्गत धारा–2/3 उ०प्र० गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम 1986 थाना सुमेरपुर, जिला हमीरपुर के मामले में दोषसिद्धगण 1–लल्ला सिंह उर्फ अरविन्द, 2–अमर सिंह एवं 3–हुकुम सिंह प्रत्येक को 03–03(तीन–तीन) वर्ष के कारावास एवं 5,000–5,000/–(पांच–पांच हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में प्रत्येक दोषसिद्धगण को एक–एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।

जी0 एस 0 टी0 वाद सं0–10 ए/2012 सरकार बनाम वीर सिंह मु0 अ 0 सं0–1440/2011 अन्तर्गत धारा–2/3 उ०प्र० गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम 1986 थाना सुमेरपुर, जिला हमीरपुर के मामले में दोषसिद्ध वीर सिंह को 03(तीन) वर्ष के कारावास एवं 5,000/–(पांच हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में दोषसिद्ध को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।

अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (द०प्र०क्षे०), हमीरपुर।

दोषसिद्धगण द्वारा उक्त मामले में जॉच अन्वेषण तथा विचारण के दौरान जेल में बितायी गयी अवधि, सजा की अवधि में समायोजित की जाएगी।

दोषसिद्धगण प्रत्येक को निर्णय की प्रतिलिपि निःशुल्क प्रदान की जाये।

तद्नुसार सजायावी वारण्ट तैयार कर अविलम्ब जिला कारागार प्रेषित किया जाए। धारा–437 ए दं०प्र०सं० का अनुपालन किया जाए।

इस निर्णय/आदेश की एक प्रति जी०एस०टी० वाद सं० 10 ए/2012 में भी रखी जाए।

दिनांक–24.03.2026 (अनिल कुमार खरवार)
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश(द०प्र०क्षे०)/
गैंगेस्टर न्यायालय, हमीरपुर।

आज यह निर्णय एवं आदेश मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित करके सुनाया गया।

दिनांक–24.03.2026 (अनिल कुमार खरवार)
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश(द०प्र०क्षे०)/
गैंगेस्टर न्यायालय, हमीरपुर।